विदेश मंत्रालय
प्रवासन के लिए भारत केन्द्र

भारत सरकार

भारत से प्रवासन का भविष्य

नियोजन की नीति, कार्यनीति और रीति

जी. गुरचरण

रिपोर्ट

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

2013

प्रकाशित

प्रवासन के लिए भारत केन्द्र

विदेश मंत्रालय

कमरा सं. 1011, अकबर भवन, यशवन्त पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

दूरभाष: +91-11-24675341, ई-मेल- icm.moia@gmail.com

वेबसाईट: http://www.mea.gov.in/icm.htm

प्रवासन के लिए भारत केन्द्र (आईसीएम)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एम ओ आई ए) ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन से वर्ष 2008 में प्रवासन के लिए भारत केन्द्र की स्थापना एक 'अलाभकारी' संस्था के रूप में की थी जो 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन' संबंधी सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के एक रिसर्च थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान मे यह केन्द्र अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित है। यह केन्द्र अनुभूतिमूलक, विश्लेषणात्मक और नीति संबंधी शोध पर काम करता है और भारत से लोगों के एक समनुगत और सुसंगत तरीके से कार्य हेतु सुविचारित नीति आयोजना और कार्यनीतिक अंतराक्षेपण हेतु प्रलेखनीय सदव्यवहार की परियोजना है।

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रवासन के लिए भारत केन्द्र (आईसीएम) भारत से अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास, विशेष रूप से भारत से अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास अथवा संबंधित विषयों, जिनका लोगों की अंतरदेशीय आवाजाही से संबंध हो, के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाविद, पेशेवर, अकादमी सदस्य और नीति निर्माताओं की सेवाएं लेता है। यह अध्येतावृत्ति नीति संबंधी शोध करने अवसर देती है, जिसमें ऐसी सूचना प्रदान करना शामिल है, जो कि विदेश मंत्रालय के लिए उपयोगी हों।

पत्राचार के लिए पता
प्रवासन के लिए भारत केन्द्र
विदेश मंत्रालय
कमरा सं. 1011, अकबर भवन,
यशवन्त पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
दूरभाष: +91-11-24675341, ई-मेल- icm.moia@gmail.com
वेबसाईट: http://www.mea.gov.in/icm.htm
डिज़ाइन और सृजन: प्रवासन के लिए भारत केन्द्र
© प्रवासन के लिए भारत केन्द्र, 2016. आईसीएम द्वारा मुद्रित, डिजाइन व परिचालित

विषय-वस्तु तालिका

आमुख

1. **प्रस्तावना**
2. **उत्प्रवास का एक वैश्विक दृष्टिकोण**
3. **उत्प्रवास नीति की ओर**
4. **बदलता उत्प्रवास पैटर्न**
5. **अनियमित उत्प्रवास**
6. **भविष्य के लिए नीति विकल्प**
7. **कर्नाटक के लिए एक आदर्श कौशल पहल VIII. कार्यनीतिक कार्य**

अनुबंध

अनुबंध 1. कुशल और अर्द्धकुशल कामगारों के संचलन को विनियमित करने के लिए भारत और (गंतव्य देश का नाम) के मध्य प्रारूप सचलता भागीदारी करार

अनुबंध 2. आदर्श विधि: अनियमित उत्प्रवास निवारण अधिनियम

अनुबंध 3. आदर्श नियोजन करार

अनुबंध 4. ई सी आर देश जाने के इच्छुक प्रवासियों के लिए उत्प्रवास प्रबोधन कार्यक्रम की प्रारूप रूपरेखा

अनुबंध 5. दि ग्लोबल इंडियन फंड फॉर टेक्नोलोजी, एंटरप्रिन्योरशिप एण्ड डेवलपमेंट (दि-गिफ्टेड)

आमुख

यह पेपर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत प्रवासन के लिए भारत केन्द्र में वरिष्ठ फैलो के रूप में मेरे कार्यकाल को पूर्ण करते हुए लिखा गया था। मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप और तत्पश्चात आई सी एम में सी ई ओ के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने उत्प्रवास पर कार्य, नीति और कार्यक्रम के अनुभव प्राप्त किया।

यह पेपर उत्प्रवास अमल संरचना की व्यापक रूपरेखा के बारे में तथा नीति और रीति में कमियों के बारे में बताता है। यह भविष्य में विचारार्थ उत्प्रवास प्रशासन में सुधार की दिशा के बारे में भी बताता है। इसमें कुछ कार्यशील हस्तक्षेप शामिल है, जिन्हे अनुबंध के रूप में दिया गया है।

मैं श्री राजीव महर्षि, सचिव, एम ओ आई ए तथा अध्यक्ष, आई सी एम का उनके द्वारा दी अध्येतावृत्ति के दौरान दिए गए सहयोग और प्रेरणा के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनका मार्गदर्शन मूल्यवान रहा है।

मैं श्री राऊल बुहरिल, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेन्ट्स को भी 2002-13 की अवधि केलिए ई सी आर डाटा प्रदान करने के लिए और मई - जून 2013 में इच्छुक प्रवासियों के प्राथमिक सर्वेक्षण करने में मुझे सहायता देने के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री शिव रतन ने मुझे डाटा प्राप्त करने में सहयोग दिया जिसकी अप्रैल 2013 में मुझे आवश्यकता थी जिसमें अनियमित प्रवासियों पर आबू दाबी में भारतीय दूतावास द्वारा किए गए सर्वेक्षण का डाटा भी शामिल है। ये डाटा सेट अत्यंत उपयोगी साबित हुए।

अंत में, मैं सुश्री नताशा छाबड़ा की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने पिछले दस महीनों में मेरे साथ धैर्य और तत्परता से कार्य किया। यह पेपर शोधकर्ता के रूप में उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं के बिना संभव नहीं हो पाता।

जी. गुरचरण

वरिष्ठ अध्येता

30 नवम्बर, 2013

कार्यकारी सारांश

'भारत से प्रवासन का भविष्य: नियोजन की नीति, कार्यनीति और रीति' शीर्षक वाले पेपर को जी गुरचरण द्वारा विदेश मंत्रालय के प्रवासन के लिए भारत केन्द्र के वरिष्ठ अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लिखा गया था। इस नीति पेपर में कुल 8 खण्ड और 5 अनुबंध हैं। इस पेपर के 8 खण्डों में भारत से प्रवासन के मुद्दों की जांच करने करने का प्रयास किया गया है, जिसमें प्रवासन नीति का विश्लेषण, बदलते प्रवासन पैटर्न, नियमित प्रवासन और भविष्य के लिए नीति संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। इस पेपर में कर्नाटक के लिए एक आदर्श कौशल पहल तथा कार्यनीति नियोजन हेतु सिफारिशें भी शामिल हैं। पेपर अनुबंधों में आदर्श संरचना और भारतीय प्रवासियों के बेहतर नियोजन हेतु संस्थागत व्यवस्था शामिल है।

यह पेपर उत्प्रवास अमल संरचना की व्यापक रूपरेखा के बारे में तथा नीति और रीति में कमियों के बारे में बताता है। यह भविष्य में विचारार्थ उत्प्रवास प्रशासन में सुधार की दिशा के बारे में भी बताता है। इसमें प्रोटक्टर जनरल ऑफ एमीग्रेन्ट्स के पास उपलब्ध डाटा तथा क्षेत्र स्तर के सर्वेक्षणों से प्राप्त प्राथमिक डाटा के आधार पर भारत से उत्प्रवास पैटर्न का विश्लेषण किया गया है और यह अगले दशक में भारत से उत्प्रवास के भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालता है। यह चार तत्वों: नीति, कार्यनीति, संस्थागत संरचना और नियोजन के तरीकों पर ध्यान देते हुए, उत्प्रवास प्रबंधन संरचना पर ध्यान देता है। इस पेपर का उद्देश्य समग्र रूप से उत्प्रवास प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों और स्टेकहोल्डरों में आवश्यक उत्प्रवास प्रशासन में व्यापक सुधारों के बारे में बताता है।

इस पेपर के प्रथम और द्वितीय खण्डों में भारतीय संदर्भ में उत्प्रवास की समग्र समझ के बारे में बताया गया है। इन खण्डों में यह तर्क दिया गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक तात्कालिकता का भाव आ चुका है। प्रवासन के तरीके देश के अंदर बदल रहे हैं। उत्प्रवास के प्रभाव भारतीय राज्यों पर अलग तरीके से असर डाल रहे हैं। कुछ राज्यों के लिए प्रवासन ने आर्थिक विकास सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक विविधता में योगदान दिया है और योगदान दे रहे हैं। लेखक का तर्क है कि 'भारत के प्रवासन' अनुभव समय और स्थान, आकार, विस्तार और गहराई में यह दर्शाते हैं कि प्रवासन समाज का आंतरिक हिस्सा है। अत: भारत प्रवासन के वैश्विक संभाषण में योगदान देने की स्थिति में है।

इस पेपर का तीसरा खण्ड प्रवासन नीति पर प्रकाश डालता है। यह भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मुद्दों के लिए नीति की भूमिका के बारे में बताता है। लेखक का यह मानना है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर प्रकट नीति नहीं है। उत्प्रवास में गतिशीलता लाने वाली परिस्थितियों और मूल देश एवं गन्तव्य और उत्प्रवासी पर प्रवासन के गंभीर सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देखते हुए एक 'नीतिहीन' माहौल कोई विकल्प नहीं है। लेखक ने एक मैट्रिक्स प्रस्तुत किया है जो कि नीति उद्देश्यों और नीति से संबंधित तत्वों पर प्रकाश डालता है।

इस पेपर के चौथे खण्ड में लेखक ने भारत से गन्तव्य देशों में बदलते उत्प्रवास पैटर्न का विश्लेषण किया है। इस खण्ड में लेखक कुशल एवं अकुशल प्रवासन से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी का संदर्भ देता है और वर्ष 2012-13 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जारी एच - वीज़ा के विश्लेषण सहित भारत से कुशल प्रवासन एवं भारतीय छात्रों के स्टॉक का विश्लेषण भी दिया गया है। प्रवासन रूझान से संबंधित यह खण्ड भारत से मध्य पूर्व कामगार प्रवासन पर भी ध्यान देता है। लेखक का तर्क है कि खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय कामगारों से प्राप्त प्रतिव्यक्ति औसत जमा धन अन्य गन्तव्य देशों से प्राप्त जमा धन से काफी अधिक है। खाड़ी देश बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को आकर्षित करते हैं। परंतु विविध घटकों का एक संयोजन- स्थिर वेतन, जीवन यापन की बढ़ती लागत, विदेशी कामगारों पर प्रतिबंध लगाने के बढ़ते रूझान और खाड़ी देशों में घटते धन से गन्तव्य के रूप में खाड़ी देश के प्रति आकर्षण कम हुआ है।

इस पेपर के पांचवे और छठे खण्ड में 'अनियमित प्रवासन' और 'भविष्य के लिए नीति विकल्प' से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। इन खण्डों में यू ए ई में अनियमित प्रवासियों के साथ अध्ययन अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण के परिणाम दिए गए हैं। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

सर्वेक्षण किए गए 57 प्रतिशत अनियमित प्रवासियों में उत्प्रवास से संबंधित जानकारी देने तथा नौकरी ढूंढने के मुख्य स्रोत विदेश में रहने वाले मित्र और रिश्तेदार थे।

सर्वेक्षण किए गए 30 प्रतिशत अनियमित प्रवासियों में ऐसे लोग थे जो नौकरी की पेशकश के बिना अथवा नौकरी के वायदे के बिना यात्रा करने को तैयार थे। नौकरी की तलाश में कामगार उत्प्रवास का जोखम उठाने को तैयार हैं।

संभावित उत्प्रवासी विदेश में अपनी नई नौकरी की व्यवस्था करने के लिए एजेन्ट को अपनी भविष्य की कमाई का 40 से 100 प्रतिशत तक देने को तैयार हो जाते हैं।

सर्वेक्षण किए गए 75 प्रतिशत प्रवासियों ने कार्य वीज़ा पर उत्प्रवास किया था। यह उस पारम्परिक मत से भिन्न है जो कि यूरोप में अनियमित उत्प्रवास के कुछ केस अध्ययनों से उत्पन्न हुआ है कि पश्चिमी देशों में सर्वाधिक अनियमित प्रवासी विज़िट वीज़ा पर आते हैं और निश्चित समय के बाद भी वहां रूक जाते हैं।

27 प्रतिशत विज़िट वीज़ा पर गए और वहां रोजगार प्राप्त कर लिया।

54 प्रतिशत प्रवासियों ने कहा कि उत्प्रवास में सही सूचना तक पहुंच बनाना अत्यंत कठिन है।

अध्ययन से उत्पन्न विशिष्ट सिफारिशें:

- विदेशी नियोक्ताओं द्वारा बिना पूर्व अनुमति सीधे नियोजन की अनुमति न देने की नीति तथा विदेशी स्वामित्व वाली भर्ती एजेन्सियों की भागीदारी पर प्रतिबन्ध के कारण स्थानीय भर्ती एजेन्टों द्वारा कार्टेल बनाए जाते हैं। यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि विदेशी नियोक्ता अथवा विदेशी स्वामित्व वाले भर्ती करने वालों की सीधे भागीदारी से रोजगार के लिए विदेश जाने वाले के इच्छुक कामगारों के हितों पर किसी भी प्रकार क्षति पहुंचेगी। विदेशी नियोक्ताओं को भारत से सीधे नियोजन की अनुमति होनी चाहिए और विदेशी भर्ती एजेन्सियों के भारत आधारित प्रचालनों पर प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए।
- यह बात सत्य है कि एक ई सी आर पासपोर्ट के साथ भारतीय को प्रवासन प्रक्रिया में एक अलाभकारी स्थिति में रखा जाता है। यह लेन-देन की लागत को बढ़ा देता है और कामगार को रक्षा तंत्र का शिकार बनना पड़ता है जिसमें उन्हें ई सी एन आर पासपोर्ट धारकों से अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। भारत को एक ऐसे तंत्र की ओर जाना चाहिए उनकी शैक्षिक स्थिति अथवा गन्तव्य देश पर ध्यान न देते हुए सभी नागरिकों को एक ही वर्ग का पासपोर्ट दिया जाए।
- प्रवासी कामगारों के लिए आवश्यक उत्प्रवास अनापत्ति (ई सी आर) पद्धति को समाप्त किया जाए। कोई भी नागरिक, जिसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हैं, को विदेश में यात्रा करने के लिए विधिक रूप से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे विनियामक अनुपालन और प्रवासन प्रक्रिया में मानकों को पूरा करने का बोझ भर्ती उद्योग के पास स्थानांतरित हो जाएगा।
- विद्यमान विनियामक संरचना को प्रशासन संरचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए जो कि तीन मौलिक संस्थाओं पर आधारित होंगे:
    - प्रथम, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने के लिए यह समय उचित है। प्रवासन प्रक्रिया में एक से अधिक सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति तथा विभिन्न सेवाधारकों में हितों के परस्पर विरोध यह सुझाव देता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक मानकों को सभी पूरा करें, एक तटस्थ तथा स्वतंत्र विनियामक संस्थागत हस्तक्षेप हो सकता है।
    - दूसरा, एक मानक निर्धारण निकाय की स्थापना की आवश्यकता, जिसमें विदेशी नियोक्ता तथा विदेशी और स्थानीय भर्ती करने वाले सदस्य हों।
    - तीसरा, प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेन्टस कार्यालयों को प्रवासी संसाधन केन्द्र में बदला जाना चाहिए जिसका कार्य सूचना प्रसार, प्रवासन मामलों पर जागरूकता फैलाना, परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करना, प्रस्थान पूर्व अनुकूलन तथा कौशल प्रदान करना, प्रशिक्षण तथा विनियामक के समक्ष प्रवासियों की ओर से वकालत करना।

<u>केस अध्ययनों से नीति सिफारिशें</u>

VII कर्नाटक के लिए आदर्श कौशल पहल

कर्नाटक स्टेट ओवरसीज़ स्किल मिशन विदेश में कौशल आधारित तथा शारीरिक श्रम आधारित नौकरियों के लिए व्यावसायिक कुशलता में कर्नाटक के युवाओं को प्रशिक्षित करने की एक पहल है।

कार्यान्वयन योजना: कुशलता मिशन दो वर्ष के लिए पायलट होगा जो कि कर्नाटक के पांच शहरों में विद्यमान संस्थानों में प्रशिक्षण शुरू करेगा। लेखक ने हुबली-धारवाड़, मैसूर, गुलबर्ग, बैलगाम तथा मंगलौर का प्रस्ताव किया है। इस पायलट का लक्ष्य अगले 10 सालों में विदेश में रोजगार के लिए 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के विज़न के साथ कुल 2000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। कुशलता प्रशिक्षण के लिए पहचाने गए क्षेत्र हैं: आतिथ्य, निर्माण, शिक्षण तथा आटोमोबाइल। इसके पूरा होने पर छात्रों को एक प्रख्यात, विश्व स्तर के जाने माने प्रमाणन निकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिया जाएगा और विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए इनकी सहायता की जाएगी। पाठ्यक्रम में वृहत पाठ्यचर्या होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि से छात्र आने कार्यक्षेत्र में पूरी तरह सक्षम हैं।

लक्षित लाभार्थी: यह पहल चयनित क्षेत्रों में चयनित कौशल के लिए लक्षित युवाओं, जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और बेहतर अवसरों की कमी के कारण ऐसे कॉलेजों / संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम ले रहे हैं जो गैर-व्यावसायिक कोर्स ही कराते हैं। लक्षित युवा कम आय वर्ग के 18-23 वर्ष के युवा होंगे। महिला उम्मीदवारों तथा वंचित वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

VIII कार्यनीतिक नियोजन

लेखक द्वारा 4 मौलिक बातों का सुझाव दिया गया है।

परिक्रामी प्रवासन को प्रोत्साहित करना- यह महत्वपूर्ण है कि भारत वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिकीविदों में से विदेशी भारतीय प्रतिभा को व्यवस्थित करे। इसके लिए त्रिपक्षीय आधार पर प्रयास करने की आवश्यकता होगी: सरकार, उद्योग और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच सार्वजनिक-निजी सहभागिता।

सॉफ्ट पावर का विकास: एक कार्यनीति संसाधन के रूप में प्रवास भारतीय: व्यक्तिक रूप से और समग्र रूप से प्रवासी भारतीयों को ऐसे मुद्दों पर एकजुट करना आवश्यक है जो कि भारत के लिए वैश्विक महत्व के हैं और ऐसे मंचों पर जहां उसकी आवाज सुनाए जाने की आवश्यकता है।

भारत को प्राथमिक उद्भव देश के रूप में अवस्थित करना- भारत को एक ऐसी कार्य योजना पर चलना चाहिए जो कि चुने हुए क्षेत्रों और चुने हुए कौशलों में पहचान बनाए जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो और अगले 5-10 वर्षों में 'विदेश में रोजगार के लिए कौशल' कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। कार्यनीति का दूसरा तत्व ऐसे गंतव्य देशों की पहचान करना है जहां मांग के आधार पर भारत मध्यम और दीर्घकाल तक आवश्यक कौशल को पूरा कर सके।

नए गंतव्य देशों में कार्यनीतिक आर्थिक पकड़ स्थापित करना: नए गंतव्य देशों में अवसंरचना में कृषि, बागवानी, खनन, वायदा बाज़ार पर ध्यान देते हुए आरंभ में कदम उठाने का लाभ लेना, उपयोग सेवाऐं

और नियोजन प्रदान करने से भारत को आर्थिक कार्यनीति पकड़ बनाने में मदद मिलेगी जिसकी इसे उभरते वैश्विक वित्तीय ढांचे में प्रभाव बनाने के लिए जरूरत होगी।

अनुबंध 1: लेखक कुशल और अर्द्धकुशल कामगारों के संचलन को विनियमित करने के लिए भारत और (गंतव्य देश का नाम) के मध्य प्रारूप सचलता भागीदारी करार पेश करता है।

अनुबंध 2: लेखक भारत से अनियमित प्रवासन को रोकने के लिए एक अधिनियम का सुझाव देता है अर्थात आदर्श विधि: अनियमित उत्प्रवास निवारण अधिनियम।

अनुबंध 3: अनुबंध 3 में लेखक ने एक आदर्श नियोजन करार का सुझाव दिया है जिसमें प्रवासी कामगारों की भर्ती और निपटान संबंधी ब्यौरा शामिल है।

अनुबंध 4: अनुबंध 4 में लेखक ने ई सी आर देश जाने के इच्छुक प्रवासियों के लिए उत्प्रवास प्रबोधन कार्यक्रम की प्रारूप रूपरेखा का सुझाव दिया है।

अनुबंध 5: अनुबंध 5 में लेखक ने भारतीयों ने नियोजन हेतु एक कार्यक्रम दि ग्लोबल इंडियन फंड फॉर टेक्नोलोजी, एंटरप्रिन्योरशिप एण्ड डेवलपमेंट (दि-गिफ्टेड) का सुझाव दिया है।

भारत से प्रवासन का भविष्य

नियोजन की नीति, कार्यनीति और रीति

जी. गुरचरण

हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के संबंध में भारत में तात्कालिकता का माहौल है। प्रवासन तेजी से बढ़ रहा है, प्रवासियों का संगठन संयुक्त और जटिल है, प्रवासन का सतत स्त्रीकरण हुआ है और प्रवासन राजनैतिक बनता जा रहा है। इसमें इस प्रकार महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे है जिससे प्रवासियों और वे जिन स्थितियों में रहते और काम करते हैं कि और देखने का नजरिया बदल रहा है। देश के भीतर प्रवासन के रास्ते बदल रहे हैं और प्रवासन का प्रभाव राज्यों पर अलग प्रकार से पड़ रहा है। कुछ राज्यों के लिए प्रवासन महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक विविधता में योगदान दे रहा है और देता रहेगा। अन्य राज्यों के लिए तात्कालिकता इन प्रश्नों के कारण बढ़ जाती है कि उभरती चुनौतियों की प्रतिक्रिया में प्रभावी नीति का विकास किस प्रकार से तथा नई प्रवासन स्थिति के प्रति किस प्रकार अनुकूलन किया जाए। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी वर्तमान जीरो जोन संकट तथा इसके फलस्वरूप जनवादी बातों से देशों में लोगों के आवागमन की गंभीर चुनौतियां सामने आ गई हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्रवासियों और उनके परिवारों की असुरक्षा पर प्रकाश डाला है तथा संकट के कारण बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी से निपटने में मूल देश की तैयारी के महत्व को दर्शाया हैं। हालांकि वैश्विक मंदी के कारण उत्प्रवास में कमी आई है परन्तु यह भारत और शेष विश्व के लिए केवल अस्थायी कमी हो सकती है। यह साबित होता जा रहा है कि भूमण्डलीकरण का अगला कदम लोगों का समीओं के आर-पार मुक्त रूप से आवागमन है। इन सभी बातों को साथ में लिया जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि प्रवासन के संबंध में हमारी समग्र क्षमता इन घटनाओं के अनुरूप नहीं है। भारत के लिए भी यह बात लागू है। हालांकि भारत की प्रवासन के वैश्विक प्रशासन में अहम भूमिका है क्योंकि अभी प्रचालन में जितने लोग हैं वे संख्या इसकी क्षमता से काफी कम है। भारत प्रवासन में वैश्विक नियोजन में अपनी क्षमता से नीचे चल रहा है और प्रवासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अपने कार्यनीतिक लक्ष्यों से पीछे चल रहा है।

भारत एक मूल देश , पारगमन और गंतव्य देश के रूप में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसके फलस्वरूप एक देश के रूप में हम प्रवासन और विकास के संबंध में जो करते हैं उसका प्रभाव समय और स्थान में एक बड़ी जनसंख्या पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन भारत के लिए तथा विश्व के लिए कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे सूचनारहित वाद-विवाद अथवा तदर्थ एवं खण्डित हस्तक्षेपों पर छोड़ा नहीं जा सकता। विश्व के साथ भारत के संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यावसाय और उद्योग में इसका भविष्य और प्रभाव का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन-प्रवाह और स्टॉक दोनों का प्रबंधन किस प्रकार करता है। समग्र रूप से यह अच्छी प्रवासन नीति, कार्यनीति और नियोजन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपकरणों के विकल्प के महत्व को बताता है। प्रवासन के प्रशासन में भारत को

एक सुसंगत नीति ढांचे, संगत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना तथा नियोजन के समन्वित तरीके अपनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के बनाए जाने के बाद प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, अब समय उचित है कि एक समन्वित नीति ढांचा बनाया जाए जो व्यापक क्षैतिज एवं अनुलंब स्तर पर सरकार को संगतता प्रदान करें; प्रवासन के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करे; प्रवासियों, उनके परिवारों और समुदाय के लिए प्रवासन के विकासात्मक प्रभाव केा अधिकतम बनाने के लिए गुणवत्ता को बढ़ाए जाने तथा एक तेजी से विकासशील आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के हितों का ध्यान रखने के लिए मध्यम से लेकर दीर्घावधि कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं।

यह पेपर प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमीग्रेंट्स के पास उपलब्ध डाटा और क्षेत्र स्तर के सर्वेक्षणों से प्राप्त प्राथमिक डाटा के आधार पर भारत से उत्प्रवास पैटर्न का विश्लेषण करता है और अगले दशक में भारत से प्रवासन के भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देता है। यह पेपर चार तत्वों: नीति, कार्यनीति, संस्थानिक संरचना और नियोजन के तरीकों पर ध्यान देते हुए उत्प्रवास प्रबंधन ढांचे के महत्व की भी जांच करता है। इस शोध पेपर का उद्देश्य राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों और स्टेकधारकों के स्तर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवासन प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए आवश्यक प्रवासन प्रशासन में व्यापक सुधारों के बारे में बताता है। यदि भारत को भारत से उत्प्रवास की क्षमताओं का सक्षमता और मानवीय तरीके से निर्माण करना है तो यह आवश्यक है। प्रवासन प्रशासन में सुधार से प्रवासियो एवं उनके परिवारों, समुदाय और देश में लाभों में बढ़ोतरी होगी और भारत को अपने स्थानिक लाभांश का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। यह भारत की व्यापार और निवेश नीतियों में समन्वय बनाने में भी मददगार साबित होगा।

जबकि भविष्य का अंदाजा लगाना कठिन है देश के विकास की वास्तविक स्थितियां यह बताती है कि अगले 15 सालों में (2030 तक) भारत से अधिक उत्प्रवास होगा। पिछले दशक 2003 से 2012 तक में 6 मिलियन लोगों को खाड़ी देशों में उत्प्रवास की मुजूरी दी गई। पिछले दशक की तुलना में उत्प्रवास दुगने से भी अधिक हो गया है और इस रूझान के सतत आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों, तेज शहरीकरण, बेहतर परिवहन एवं संचार और मजबूत भारत-खाड़ी प्रवासन नेटवर्क के कारण बढ़ने की संभावना है। भारत से उत्प्रवास के मुख्य कारणों को समझने के लिए सामान्य घटकों की समझ से कहीं अधिक आगे जाना होगा। जैसे जैसे वृद्धि में तेजी आएगी वैसे वैसे लोगों को संसाधन मिल सकेगें और क्षमता बढ़ेगी। इन राज्यों में उच्च उर्वरता दर के कारण काम करने वाले युवाओं के बड़े दस्ते प्रवास के अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नए तथा गैर- पारम्परिक राज्यों से प्रवासियों के अधिक बहिर्गमन के कारण भारत को प्रवासन प्रबंधन के अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह मान्यता की यह केन्द्र का विषय है और भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अब उचित नहीं है। उप-राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों का नियोजन और प्रक्रिया में अन्य प्रमुख स्टेकधारकों के साथ भागीदारी बनाना आवश्यक है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक सामंजस्य बना रहा है और इस

प्रक्रिया के दो मुख्य लक्षण हैं: भारतीय अर्थ व्यवस्था के वैश्विक आर्थिक प्रवाह के लिए खोला जाना और भारतीय लोगों में ट्रांस-राष्ट्रवाद बढ़ने से भविष्य में प्रवासन में तेजी भी आएगी। इसके लिए न केवल सामान एवं पूंजी बल्कि लोगों के साथ आवागमन पर ध्यान देने के लिए एक अधिक समन्वित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

भारत परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है जो कि अगले दो दशकों में दो प्रक्रियाओं को आमने सामने प्रकट होते हुए देखेगा- स्थानिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन- जिससे संभावी प्रवासियों की आपूर्ति बढ़ सकती है। प्रवासन और विकास कार्यात्मक रूप से और विपरीत रूप से एक - दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं (डि हास, 2007)[1] वर्ष 2025 के अंत तक भारत आज (जनगणना, 2011) 658 मिलियन की तुलना में काम करने वाले आयू समूह (18-59) में 832 मिलियन के बड़े कार्यबल के साथ विश्व का सबसे युवा राष्ट्र बन जाएगा। प्रवासन परिवर्तन के पहले चरण के इस अनुभव से कई राज्यों, विशेष रूप से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य - उत्तर प्रदेश में युवाओं की अधिकतम संख्या सामने आएगी। इस बात पर कई घटक असर डालेगें कि कौन, क्यों और कहां प्रवासन करेगा और वे हैं: अन्तर - राज्यीय असमानता और आय विसंगति; ग्रामीण विस्थापन और शहरीकरण; शिक्षा के बढ़ते मानक और कम विकसित राज्यों की तेजी से बढ़ती आर्थिक वृद्धि। अभिलाषी लोगों में अधिकांश लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की लागत उठाने और जोखिम उठाने को तैयार होगें। हालांकि निर्धनतम लेाग व्रवासन नहीं करेगं केंकि उनके पास संसाधनों , शिक्षा अथवा नेटवर्क की कमी होगी। उत्प्रवास की सबसे नाठकीय बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि गरीब राज्यों में आर्थिक वृद्धि के कारण आय में बढ़ोतरी, स्थानिक पिरवर्तन और बेहतर शिक्षा एवं कौशल प्राप्त हो रहे हैं। हमने उत्तर और पूर्व से पहले ही इस संख्या में वृद्धि देखी है। जनगण्ना 2011 के अनुसार उच्च साक्षरता दर (7+ आयू समूह के लिए 74 प्रतिशत) और बढ़ते शहरीकरण (जनसंख्या का 31 प्रतिशत) इस बात को और पुख्ता करता है। वास्तव में भारत के तीन शहर मुबई, दिल्ली और कोलकाता - 2025 (यू एन, 2007)[2] तक 70 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व के 10 बड़े शहरों में शुमार करेंगे।

जैसे - जैसे भारत में और बच्चे अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करेंगे वैसे - वैसे बाद की शिक्षा की मांग बढ़ेगी। छात्र आवाजाही - भारतीय छात्र विदेश में बाद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं- जो कि उत्प्रवास के मूल स्थान के बिंदू और संरचना, भारत मे नाटकीय ढंग से बदल रही है और प्रवासन प्रबंधन में कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

---

[1] हेन डि हास, 2007, 'टर्निंग द टाइड ? व्हाई डेवलेपमेंट विल नॉट स्टॉप माईग्रेशन', डेवलेपमेंट एण्ड चेन्जेज़ 38 (5) : 819 - 841, पृष्ठ 832

[2] यूनाईटिड नेशन्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक एण्ड सोशल अफेयर्स, 2008, वर्ल्ड अर्बानाईज़ेशन प्रोस्पेक्ट्स : द 2007 रिविज़न।

जबकि विकसित विश्व के देश स्थानिक परिवर्तन के दूसरे चरण से गुज़र रहे हैं जिससे जनसंख्या की कमी हो रही है तथा उम्र दराज जनसंख्या अधिक हो गई है। 2.1 की प्रतिस्थापन उर्वरता दर की तुलना में युरोप में वर्तमान में 1.5 की उर्वरता दर है जबकि जापान और कोरिया जैसे देशों में उर्वरता दर 1.3 से नीचे है। इन स्थानिक परिवर्तनों के आर्थिक परिणामों को उच्च निर्भरता अनुपान में दर्शाया गया है। इस सदी की शुरूआत में यूरोप में यह 49 था और वर्ष 2050 (यू एन 2009)[3] तक इसके 71 तक बढ़ने की संभावना है। वृद्धों की देख रेख की बढ़ती लागत के कारण उम्र दराज जनसंख्या और बढ़ रही है। इससे विकसित देशों में सामाजिक कल्याण प्रणाली पर काफी वित्तीय दबाव पड़ा है। जबकि कई समाधानों - सेवानिवृत्ति की उम्र का बढ़ाना, महिलाओं को कार्य करने के प्रति प्रेरित करना, कर बढ़ाना और लाभ कम करना - को अपनाने का प्रयास किया गया, परंतु यह मान्यता है कि जनसंख्या और श्रमशक्ति एवं कौशल में आने वाली कमी संरचनात्मक है और चक्रीय नहीं है। यह समस्या इतनी गंभीर थी कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 की रिपोर्ट में यह नोट किया कि 'जनसंख्या की कमी और उम्र दराज जनसंख्या के बढ़ने को केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से ठीक किया जा सकता है' (यू एन, 2000)[4] । जबकि प्रौद्योगिकी प्रगति और आटोमेशन की दिशा में जाने से उच्च कुशलता वाले कामगारों की मांग बढ़ रही है। वैश्विक उत्तर में अधिकांश देश कम कुशलता वाले कामगारों की स्थानीय आपूर्ति में कमी अनुभव कर रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां काम को बाहरी स्रातों से नहीं करवाया जा सकता तथा उसे स्थल पर ही पूरा किया जा सकता है। अगले दशक में तेजी से बढ़ने वाले अनुमानित व्यवसायों में घरेलू परिचर्या प्रदाता, नर्सिंग सहायक, वार्ड सहायक, चिकित्सीय सहायक और घरेलू नौकर शामिल हैं (राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, 2008)[5]। ये सभी परिवर्तन भारत को अवसर देते हैं कि वह कुशल एवं प्रशिक्षित कामगारों के लिए प्राथमिक स्रोत देश के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करे। तथापि इससे हमारी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, कार्यबल के कुशलता स्तरों और वर्तमान प्रवासन संरचना में काफी बढ़ोतरी होगी।

II प्रवासन पर एक वैश्विक दृष्टिकोण

भारत एक बड़ा, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, बहुलवादी समाज को दर्शाता है, जहां अलग - अलग धर्मों भाषाओं, मान्यताओं और राजनैतिक विचारधाराओं के लोग एक साथ रहते हैं। वास्तव में यह एक ऐसे समाज का आवश्यक अंग है जो कि सभी के लाभ हेतु सकारात्मक प्रवासन आवागमन और कामगार आवाजाही के लिए माहोल बनाता है। इससे भारत ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसमें यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन प्रयासों में योगदान देने में मदद करता है जिनसे एक उचित वैश्विक प्रवासन कार्यनीति का विकास हो सके। प्रवासन के भविष्य की तैयारी करते हुए यह आवश्यक है कि भारत प्रवासन के वैश्विक दृष्टिकोण को समझ सके। यह महत्वपूर्ण है कि भारत को एक प्रभावी उभरती हुई

---

[3] युनाईटिड नेशन्स, 2009, पोपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स : द 2008 रिवीज़न

[4] युनाईटिड नेशन्स, 2000, 'रिप्लेसमेंट माईग्रेशन : इज इट ए सोल्यूशन टू डिक्लाइनिंग एण्ड एजिंग पोपूलेशन्स ?

[5] नेशनल रिसर्च काऊंसिल, 2008, रिसर्च ऑन फ्यूचर स्किल डिमाण्डस : ए वर्कशॉप समरी, द नेशनल अकेडेमिक्स प्रेस

अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। नवंबर 2013 में ओ ई सी डी की वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि भारत अब संयुक्त राज्य और चीन के बाद तथा जापान से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 तक चीन दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, जिसके बाद भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना गया है और प्रवासन की दृष्टि से इसके पास एक उदार समाज, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, अंग्रेजी बोलने वाले और कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का एक मजबूत पूल होने का लाभ है। मूल, पारगमन एवं गंतव्य देश के रूप में भारत के अनुभव के कारण इसे दक्षिणी गोलार्द्ध में एक विशेष स्थान मिल गया है। प्रवासन में भारत के अनुभव के पैमाने और फैलाव तथा विकास एवं इन दो जटिल प्रक्रियाओं का आपसी सामंजस्य अद्भुत है। जबकि हमारे पास लगभग 5 मिलियन प्रवास भारतीय कार्यबल है, यह बात कम लोग जानते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसके बहुलवादी समाज के साथ लाखों प्रवासियों का मेज़बान भी है। भारतीय प्रवासन अनुभव अपने आकार, विस्तार एवं गहराई और समय एवं स्थान द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि प्रवासन समाज का आंतरिक हिस्सा है। अत: प्रवासन पर वैश्विक प्रबंधन में भारत योगदान देने की स्थिति में है। वैश्विक प्रवासन नीति की गति और दिशा पर प्रभाव डालने के लिए भारत को सर्वप्रथम प्रवासन के मध्यम से लेकर दीर्घावधि दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसे माल एवं पूंजी के ट्रांसनेशनल आवागमन में एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में सीमाओं के आर - पार लेागों के उदार आवागमन के दीर्घावधि विज़न पर ध्यान देना चाहिए।

वैश्विक प्रवासन एजेंडा लोगों के देशों में आवागमन का उदार बनाने के स्पष्ट दीर्घावधि उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए। जिस प्रकार मुक्त व्यापार वांछनीय है उसी प्रकार भारत को वैश्वीकरण के एक आंतरिक भाग के रूप में प्रवासन के मुद्दे पर महारत प्राप्त करनी चाहिए जिससे सभी देशों और लोगों को लाभ मिल सके। इस वैश्विक दृष्टिकोण को कुछ व्यापक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए: ट्रांसनेशनल अधिकार देना जिसमें राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत पर सुवाह्य सामाजिक सुरक्षा शामिल है; सुरक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा और अन्य नागरिक सेवाओं तक नागरिकता की बजाय आवास के आधार द्वारा पहुंच; किसी भेदभाव के बिना प्रवासियों एवं उनके परिवारों को संरक्षण देना तथा उनका कल्याण; प्रवासी शोषण तथा विदेशी द्वेष से लड़ते समय कानूनी प्रवासन के रास्तों का विस्तार करना; और अधिक शोध तथा बेहतर डाटा संग्रहण के माध्यम से प्रवासन के ज्ञान आधार में सुधार लाना। देश में भविष्य में उभरने वाले प्रवासन पैटर्न के परिदृश्य में भारत को ऐसे बहुविषयक ढांचे की आवश्यकता को जाहिर करना होगा जो कि न्यूनतम पहलों के सामंजस्य के प्रति वचनबद्ध हो तथा इस पर आधारित हो। यह पहले इस प्रकार हैं : सामाजिक सुरक्षा समन्वय के लिए संगत बहुविषयक उपकरण ; बैंकिंग चैनालों का विस्तार और धन हस्तांतरण की लागत को कम करना; नैतिक भर्ती, अधिक कठिन संविदा कार्यान्वयन और उत्प्रवास की लागत को कम करना; मानकीकृत पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण, परीक्षण और कौशलों के लिए स्वतंत्र प्रमाणन पर आधारित अर्हरताओं को आपसी मान्यता सुनिश्चित करना; वैध प्रवासन से निपटना

और सुरक्षा एवं सम्मान के साथ स्वैच्छिक वापसी, अनाधिकृत प्रवासियों का धारणीय पुनर्समावेशन; तथा अंतराष्ट्रीय प्रवासन में बड़े अनुसंधान को सुगम बनाना और इसके आधार पर बेहतर डाटा का निर्माण करना है।

जब हम भारत के प्रवासन भविष्य के लिए तैयार होते हैं तब हमें यह समझना होगा कि पहले वाले पैटर्नों और प्रक्रियाओं से कुछ रूझान काफी अलग हैं और इसलिए ये चुनौती पेश करते हैं। भारत से महिला प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है और इनमें से अधिकांश आज प्राथमिक आर्थिक प्रवासियों के रूप में स्वतंत्र रूप से उत्प्रवास करती हैं। लिंग आधरित कामगार बाज़ार पृथक्करण उन्हें सेवा, स्वास्थ्य और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में हाशिए पर ले जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण से संबधित प्रचालनात्मक मद्दे उठ रहे हैं। उद्भव के राज्यों में विविधता का विस्तार हो रहा है। जबकि जनांकीकि और विकास के कारण पारंपरिक राज्यों से प्रवासन कि वृद्धि दर में कमी आई है, यह महत्वपूर्ण है कि नए, अधिक जनसंख्या वाले पिछड़े राज्य उद्भव के महत्वपूर्ण राज्यों के रूप में उभर रहे हैं। ये वे राज्य हैं जिनमें प्रवासन प्रबंधन के लिए कमजोर संस्थागत उपकरण है और इन्हें उत्प्रवासी कामगारों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए काफी चुनौतियों का समाना करना पड़ेगा। तीसरा वर्तमान भू-राजनैतिक सुरक्षा माहौल में अनियमित प्रवासन सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक चिंता का विषय है जो कि कानून लागू करने से कहीं आगे की बात है। इससे प्रवासन का सुरक्षाकरण बढ़ने लगा है। मानव तस्करी, दुरव्यापार और ट्रांसनेशनल बिचौलिया कार्टेल की उपस्थिति के बारे में चिंताएं उचित हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाती हैं। तथापि यह तथ्य कि प्रवासियों और उनके परिवारों को अकसर शोषण और पुर्वाग्रह का शिकार होना पड़ता है, कई बार आंखों से ओझल हो जाता है। भारत की स्पष्ट रूप से व्यक्त प्रवासन नीति नहीं है, कम से कम यह विकास नीति (उदाहरण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं) में शामिल नहीं है। प्रवासन प्रशासन के लिए भारत की क्षमता बढ़ाने का पहला विद्धान्त इस प्रक्रिया में नियोजित प्रमुख लोगों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में परिवर्तन लाना है। हमें राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए जो कि स्थानीय सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी की क्षमताओं का प्रयोग भारत को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवासन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाए। यह दक्षिण एशिया में अन्य देशों के लिए प्रेरणा बनेगा और यह विश्व के लिए एक मॉडल बन सकता है।

आगे बढ़ते हुए अस्थायी प्रवासन की लोकप्रियता बढ़ेगी। यह निगमों तथा उत्पkदन के नए तरीकों एवं ट्रांसनेशनल आपूर्ति श्रृंखला द्वारा प्रतिभा की वैश्विक खोज से प्रेरित होगा। जी ए टी एस मोड 4 के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्तियों के अस्थायी आवागमन को उदार बनाने के संभावित लाभों के बावजूद देशों ने मोड 4 के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से सीमित वचनबद्धताएं की हैं, जिसका कारण व्यापार और प्रवासन प्रणालियों (देश के अंदर और देशों के बीच दोनों) के बीच काफी असंगतता होने की समस्याएं हैं। मोड 4 की संकल्पनाएं और परिभाषाएं अक्सर घरेलू प्रवासन विनियामक ढांचे में नहीं पायी जाती और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता से परिभाषित नहीं किया गया है। नीति लक्ष्यों में असंगतता और समन्वित कार्य की कमी के कारण अकसर खंडित प्रतिक्रयाएं मिलती हैं। एक ओर मूल एवं गंतव्य देशों के बीच अधिक नीति

सामंजस्य, प्रवासन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अधिक प्रतिबंधात्मक और संरक्षात्मक नीतियों के बीच बढ़ती दूरी और प्रतिभाशाली, युवा, प्रशिक्षित और कुशल लोगों की पूरे विश्व के उद्योगों में आर्थिक आवश्यकता का महत्व कम नहीं है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन के प्रभावी प्रबंधन में आले वाली चुनौतियों में विभिन्न प्रवासन संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए उपाय ढुंढना एवं उनके बीच संतुलन बनाए रखना, शामिल है और यह एक भाग को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे भाग में सुधार लाकर किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति के आवश्यक घटकों की पहचान करना भारत से उत्प्रवास प्रबंधन हेतु कार्यनीति का विकास करने में एक अहम कदम है। क्या किसी एक अथवा सभी प्रवासन नीति मुद्दों पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण के अंतर्गत विचार कया जाना चाहिए ? क्या कुछ तत्व अन्य तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण हैं ? क्या ये तत्व सभी राज्यों के लिए समान हैं अथवा हर राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर अपने स्वयं के पैकेज का विकास करेगा ? प्रवासन प्रबंधन दृष्टिकोण के तत्वों पर चर्चा के लिए दो बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि व्यापक तत्व कौन से हैं और इन तत्वों को कार्यान्वित करने वाले सहभागी कौन हैं। देश और मेज़बान समाज में प्रवासियों को भूमिका प्रदान करने के तरीकों की खोज करने हेतु अनुभव सिद्ध एवं विश्लेषक कार्य करने की आवश्यकता है और यह देखना होगा कि ये भूमिकाएं सार्वजनिक मत, नीतिगत निर्णय निर्माण पर क्या असर डालती हैं। प्रमुख स्टेकधारकों विशेष रूप से सरकार, मीडिया, कामगार संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सिविल सोसाइटी, प्रवासी संघ और प्रवासियों की भूमिका को और समाज में प्रवासियों के बारे में विचारों को, ये स्टेकधारक प्रभावित कर सकते हैं और नीतिनिर्माताओं के पास उपलब्ध विकल्पों की जांच करने की आवश्यकता है। प्रवासन प्रबंधन के लिए इस बात का प्रबंधन जरूरी है कि समाज में प्रवासियों को किस प्रकार देखा जा रहा है।

III प्रवासन नीति की ओर

तीन दशकों से अधिक समय से भारत- खाड़ी कोरिडोर में व्यापक प्रवासन और हाल में विकसित देशों में व्यवसायिकों एवं छात्रों की आवाजाही की बढ़ती संख्या के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के संबंध में भारत की कोई कथित नीति नहीं हैं। उत्प्रवास संबंध बाध्यकर परिस्थितियों और प्रवासन के गंभीर सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देखते हुए नीति न रखने का कोई विकल्प नहीं है। नीति दीर्घावधि लक्ष्यों को परिभाषित करने, संबंधित कार्यक्रमों का अभिकल्पन करने तथा विकास समन्वित कार्रवाई करने और वास्तविक समय के आधार पर हस्तक्षेप करने का प्रयोजन पूरा करती है। नीति वक्तव्य, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को नीति के तत्वों के साथ जोड़ता है जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। यह एक ऐसी संस्थागत अवसंरचना करने की प्रक्रिया को भी पूरा करता है, जो कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के माध्यम से नीति के कार्यान्वयन को सक्षम बनाती है। परंतु इनमें से नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रवासन प्रक्रिया में नियोजित विभिन्न स्टेकधारकों की भूमिका और दायित्वों को परिभाषित करना है।

यह मैट्रिक्स नीति उद्देश्यों तथा नीति के संबंधित तत्वों का एक उदाहरण है:

नीति उद्देश्य	नीति के तत्व
• प्रवासी रोजगार	कौशल, गंतव्य आधार की विविधता
• व्यस्थित उत्प्रवास	सुगमीकरण एवं विनियमन
• कार्य पर सुरक्षा/ अधिकार	संरक्षण तथा प्रवर्तन
• कौशल उन्नयन	मानक और सार्वभौमिक मान्यता
• कामगार कल्याण	स्थल पर ही संस्थागत सहायता
• लिंग संवेदनशीलता	महिला कामगार विशिष्ट हस्तक्षेप
• भेजी गई रकम का प्रयोग	निवेशकों का बचाव
• वापसी और पुनर्समाकलन	सामाजिक सुरक्षा

हालांकि कोई विशिष्ट नीति दस्तावेज नहीं है पर भारतीय प्रवासन नीति ढांचे को एक ऐसे विधायी ढांचे द्वारा अवरोधित किया गया है जिसमें उत्प्रवास को उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार बताया गया है। कांगा और अन्य बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मार्गनिर्देश इस ढांचे का आधार बनाते हैं। इस अधिनियम की संरचना सरल है और यह तीन बातों पर आधारित है: पहली, भारत का कोई भी नागरिक सरकार से पूर्व अनुमोदन लिए बिना उत्प्रवास नहीं करेगा; दूसरी कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के भारतीय नागरिक को विदेश में रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं करेगा और तीसरी, एक प्रोटेक्टर जनरल ऑफ ऐमीग्रेंट्स (पी जी ई) बनाया जाएगा जिसको उत्प्रवास के इच्छुक व्यक्ति को अनुमोदन देने और संभावी भर्ती एजेंटों के पंजीकरण का अधिकार होगा। यह अधिनियम प्रोटेक्टर जनरल को उत्प्रवासियों का संरक्षण एवं कल्याण सुनिश्चित करने और कुरीतियों को रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया को विनियाजित करने का दायित्व भी देना है। हालांकि इस अधिनियम का आशय अच्छा है परंतु अपने उद्देश्य और संस्थागत संरचना में यह 1922 के अधिनियम का मज़ाक उड़ाता है। उत्प्रवास अधिनियम 1983 में आंतरिक और यांत्रिक कमियां हैं।

उत्प्रवास के लिए भारतीय विनियामक ढांचे में पहली आंतरिक कमी यह है कि यह 'निकास नियंत्रण' आधारित रहता है। यह प्रवास करने वालों को फिल्टर कर देता है और निकास के तरीकों को विनियमित करता है। यह मनमाने ढंग से दो अलग - अलग प्रकार के पासपोर्ट जारी करने की प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है - पहला ई सी आर, जिसमें उत्प्रवास करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और दूसरा ई सी एन आर - क्योंकि न ही उत्प्रवास अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम में इस प्रकार का कोई भेद किया गया है। जमीनी स्तर पर स्थिति इस तथ्य को उजागर करती है कि यह कामगारों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित नहीं करता। कामगार के निकास के बाद इस प्रक्रिया में पी जी ई का कोई नियंत्रण नहीं रहता। विनियामक ढांचे में दूसरी आंतरिक कमी प्रोटेक्टर जनरल प्रणाली में उठने वाले हितों में संघर्ष है। अलग- अलग तीन स्टेक धारकों के लिए

तीन अलग कार्यों को एक संस्थान में संयुक्त कर दिया गया है - पी जी ई नीति निर्माता; सेवा प्रदाता और लाईसेंसिंग प्राधिकारी तथा विनियामक है। इस स्थिति में उत्प्रवास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था निर्णय लेने की प्रक्रिया पर असर डालती है। प्राथमिकता में प्रवासी कामगार नीचे आते है। तीसरी आंतरिक कमी 'तीसरा पक्ष' भर्ती की प्रणाली है जो कि उत्प्रवास प्रक्रिया में प्रबलतालता दिखाती है। भर्ती एजेंट प्रणाली महत्वपूर्ण प्रवर्तन सीमितताओं का सर्जन करती है जो कि कामगार के हितों को असुरक्षित करती है।

इस प्रणाली में कई यांत्रिक कमियां भी हैं। नीति ढांचे में विखण्डन और इसका प्रवर्तन अधिक दार्शनीय है। नीति सामंजस्यता की कमी- क्षैतिज और लम्बवत - जो कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच और केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विद्यमान है और जिसने आवश्यकता के समय प्रतिक्रिया और सुधार को अवरूद्ध किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका अर्थ समन्वित प्रक्रिय का अभाव है और इसलिए निष्पादन उपयुक्त नहीं है। राज्यों में यह स्थिति और खराब है। प्रवासन पर वास्तविक कार्य भारत के राज्यों में होता है परंतु वे इस प्रक्रिया में बाहरी दायरे पर है। उत्प्रवास अधिनियम एक केन्द्रीकृत विनियामक संरचना का सृजन करता है जो प्रोटेक्टर जनरल आफ एमिग्रेन्ट्स को सभी अधिकार देता है और इसमें राज्यों की काफी कम भूमिका है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रमुख मूल राज्यों में भी प्रवासन प्रबंधन की काफी कम अथवा शून्य क्षमता है। एक केन्द्रीकृत विनियामक ढांचे का परिणाम ऐसे नीति हस्तक्षेप है जिसका जमीनी स्तर से कोई नाता नहीं है और इसलिए वे अनुत्पादक सिद्ध हो रहे हैं। 30 वर्ष से कम की महिलाओं पर उत्प्रवास करने का प्रतिबंध लगाया जाना इसका एक अच्छा उदाहरण है। इससे अनियमित प्रवासन, सर्किट, किराया मांगने की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है, प्रवासन की लागत बढ़ी है और महिलाएं और अधिक जोखिम में आ गई है।

IV बदलते उत्प्रवास पैटर्न

भारत एक महत्वपूर्ण उद्भव देश है। जबकि इसकी जनसंख्या की तुलना में प्रवासन प्रवाह कम है। भारत का उत्प्रवास ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करता है जो कि 21 वी सदी में प्रवासन की जटिलताओं को दिखाते हैं, जो कि इस प्रकार है - विभिन्न कौशल स्तरों का एक संयुक्त मिश्रण, स्थायी और परिक्रामी प्रवासन, महत्वपूर्ण छात्र आवागमन और प्रवासन में स्त्रियों की संख्या बढ़ने का महत्व। जबकि खाड़ी देशों में अधिकांश प्रवासन कम कुशल कामगारों का है, पर भारत से ज्ञान अर्थव्यवस्था से पेशेवर प्रवासन में बढ़ोतरी इससे कहीं अधिक है। प्रवासी भारतीय समुदाय का आकार और विस्तार ट्रांस-नेशनलिज़्म में बढ़ोतरी को दर्शाती है जिसके फलस्वरूप लोग एक से अधिक देशों में अपने पैर फैला लेत हैं और उद्भव तथा गंतव्य दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में पूरी तरह शामिल होते हैं। प्रवासी भारतीयों ने यह दिखाया है कि आवागमन एवं प्रवासी नेटवर्क से किस प्रकार सृजनात्मकता, नवोन्मेष और उद्यमवृत्ति प्रोत्साहित होती है। भारत एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण देश है और एक गंतव्य देश के रूप में भी उभर रहा

है, जिससे यह तथ्य सामने आता है कि कोई भी देश केवल उद्भव देश या केवल गंतव्य देश नहीं रह सकता।

भारत में 1991 में किए गए आर्थिक सुधार एवं सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में इसका उद्भव संयुक्त राज्य के उत्प्रवास अधिनियम 1990 के साथ मेल खाता है जिसने 'विशेषता व्यवसाय' के लिए एच 1 बी गैर-प्रवासी वीज़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 'अस्थायी प्रवासन' की शुरूआत की। इससे विशेषता प्राप्त जानकार कामगारों के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लघु अवधि के लिए उत्प्रवास में तेजी आई। एच वीज़ा कार्यक्रम को यु एस ए में भारतीय प्रवासन के लिए प्राथमिक माध्यम बनना था। 'भारतीय कामगार आधे एच-1 बी वीज़ा लेते रहे हैं। यू एस में उच्च प्रौद्योगिकी वाली नौकरियों को भरने के लिए एच-1 बी वीज़ा पर भारतीयों द्वारा यात्रा करने से, 1990 से लेकर 2000 तक उन्होंने यू एस में अपनी जनसंख्या दुगनी कर दी और समग्र रूप में भारतीय जनसंख्या 815,447 से बढ़ कर 1.9 मिलियन हो गई। इन भारतीयों में से 70 प्रतिशत का जन्म विदेश में हुआ था।' (वर्मा, 2007)[6]। 1991-2008 की अवधि में भारत से यू एस में उच्च कुशलता वाले व्यक्तियों का उत्प्रवास हुआ और वास्तव में संयुक्त राज्य में सभी भारतीय प्रवासियों के 70 प्रतिशत का, जो कि आज 2.9 मिलियन हैं, आगमन 1990 के बाद हुआ (वे ली एण्ड लूसिया लो, 2010)[7]।

2003-2012 की अवधि के दौरान भारतीयों को जारी गैर-उत्प्रवास एच वीज़ा

Table/chart
एच- वीज़ा (अस्थायी कामगार)

स्रोत: यू एस राज्य विभाग; वर्गीकरण एवं राष्ट्रीयता द्वारा जारी गैर प्रवासी वीज़ा संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 2003-2012

[6] रोली वर्मा, 2007, चेंजिंग बोर्डर्स एण्ड रिएलिटीज़: इमिग्रेशन ऑफ इंडियन साइंनटिस्ट्स एण्ड इंजीनियर्स टू द युनाईटिड स्टेट्स, पर्सपेक्टिव्स ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, पी जी डी टी 6 (2007) 539-556

[7] वे ली एण्ड लूसिया लो, 2010, हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेन्ट्स इन केनेडा एण्ड द यू एस, आई एम डी एस, वर्किंग पेपर नं. 4-2009।

भारत से उत्तरी अमरीका में प्रवासन का पैटर्न निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

कनाडा में उत्प्रवास की अवधि	कनाडा के भारत में जन्में उत्प्रवासियों का प्रतिशत	यू एस में उत्प्रवास की अवधि	यू एस के भारत में जन्में उत्प्रवासियों का प्रतिशत
1981 से पहले	20.4	1980 से पहले	12.7
1991 से पहले	14.9	1980-1989	17.3
1991-2000	35.6	1990-1999	35.6
2001-2006	29.1	2000-2006	34.4

देश के बाहर उच्चतर शिक्षा के इच्छुक भारतीय छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है यह युवा महत्वाकांक्षी पीढ़ी का भार बढ़ने तथा भारत में इनकी आपूर्ति की कमी के फलस्वरूप हुआ। सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली अभी भी बेहतर अवसरों की खोज में विदेश, विशेष रूप से अमरिका में सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में जाना पसन्द करते हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय छात्र प्रमुख गंतव्य देशों में सबसे बड़े समूह में आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में छात्र आवागमन में बढ़ोतरी नीचे दी गई है:

2006-2010 में प्रमुख गंतव्य देशों में छात्रों का स्टॉक

	2010	2009	2008	2007	2006
यू एस ए	103968	101563	94644	85687	79219
यू के	38205	34065	25901	23833	19204
आस्ट्रेलिया	20429	26573	26520	24523	22039
न्यूज़ीलैण्ड	6650	5710	4094	2452	1563
कनाडा	4617	4314(रूस)	3257(जर्मनी)	-	2826
कुल	173869	172225	154416	136495	124851

स्रोत: यूनेस्को इस्टीट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स (2012)

अत: छात्र आवागमन भारत से उच्च कुशलता वाले कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवासन मार्ग को दर्शाता है और जिसे और अधिक नीति संबंधी सहायता की आवश्यकता है। छात्र आवागमन अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाज़ार की परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील एक बड़े स्तर पर बाद की शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक छात्र लागत लाभ विश्लेषण करते हैं जो कि यह निर्णय लेने में मदद करता है कि प्रवासन किया जाए अथवा नहीं तथा प्रवासन कहां और कब किया जाए। 2008 की वैश्विक मंदी का विदेश में पढ़ाई पर अपना असर पड़ा था।

2006-2010 में शीर्ष तीन गंतव्य देशों में संख्या में वृद्धि

Table

स्रोत: यूनेस्को इस्टीट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स (2012)

हम अब भारत- खाड़ी प्रवासन कोरिडोर की तरु अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। लगभग 90 प्रतिशत भारतीय प्रवासन खाड़ी देशों में होता है और नीति एवं विनियामक प्रक्रियाओं दोनों में इसे समय और स्थान दिया जाता है।

प्रवासी भारतीयों में इन महत्वपूर्ण घटकों के आर्थिक और सामाजिक महत्व का अंदाजा खाड़ी देशों के प्रवासी भारतीय कामगारों द्वारा भेजी गई पूंजी में वृद्धि से लगाया जा सकता है। भारत में विदेश से भेजी गई राशि का लगभग 47 प्रतिशत- जो कि लगभग 33 बिलियन यू एस डालर है- छः जी सी सी देशों में प्रवासी भारतीयों से आता है। अकुशल, अर्द्धकुशल अथवा कुशल कामगारों का खाड़ी देशों में अस्थायी प्रवासन इस बात में विलक्षण है कि शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सामाजिक लागत कम है जबकि प्राप्त धन अथवा सृजित कौशल द्वारा प्राप्त आर्थिक और सामाजिक लाभ अधिक हैं। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय कामगारों से औसत तथा प्रति व्यक्ति भेजी गई राशि अन्य देशों से भेजी गई राशि से काफी अधिक है। 2012 में 12 प्रमुख देशों से भारत को प्राप्त कुल तथा प्रति व्यक्ति धनराशि इस प्रकार है।

देश	भेजी गई राशि (मिलियन यू एस डालर में)	जनसंख्या (मिलियन में)	प्रति व्यक्ति भेजी गई राशि
यू ए ई	15685	1.75	8962.857
कुवैत	2947	0.579	5089.81
ओमान	2614	0.718	3640.668
कतर	2294	0.5	4588
बहरैन	760	0.35	2171.428
सऊदी अरब	8382	1.789	4685.299
कुल खाड़ी	32682	5.686	5747.8

यू एस ए	11956	2.245	5325.61
यू के	4267	1.5	2844.666
कनाडा	3463	1	3463
आस्ट्रेलिया	1388	0.448	3098.214
इटली	631	0.0991	6367.3
जर्मनी	457	0.0705	6093.33
कुल उत्तर	22162	5.362	4133.159
कुल संख्या	54844	11.048	4964.156
खाड़ी प्रतिशत	59.59		
उत्तर प्रतिशत	40.41		

स्रोत: पी जी ई और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लेखक की गणना।

चूंकि खाड़ी देशों में प्रवासन भारतीय प्रवासन का अधिकांश भाग है, इसलिए 2002-2012 की अवधि के लिए पूरे प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण करना उपयोगी होगा। इस अवधि के दौरान भारत से उत्प्रवास काफी अधिक अर्थात् 6.82 मिलियन था। इस संख्या में से 6 मिलियन भारतीय ने 6 जी सी सी देशों में उत्प्रवास किया। पिछले दशक में औसतन कुल उत्प्रवासी जनसंख्या 7 प्रतिशत से बढ़ी और 2008 में यह सबसे अधिक 847,000 कामगार थी। वित्तीय संकट ने वर्ष 2009 में इस संख्या पर असर डाला परंतु इस संख्या में विशेष रूप से 2012 में विशेष रूप से 2012 में पुन: उछाल आया। पिछले दशक मे इतनी बड़ी संख्या के बावजूद खाड़ी देशों में प्रवासियों की संख्या मं बहुत कम वृद्धि हुई। 2002-2012 की अवधि में 6 जी सी सी देशों में लगभग 6 बिलियन लोगों के सकल प्रवाह की तुलना में इन देशों में प्रवासी भारतीय जनसंख्या में केवल 2.37 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। छ: जी सी देशों में से प्रत्येक में बढ़ोतरी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

2002 और 2012 में जी सी सी देशों में प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या

देश	2012	2002	बढ़ोतरी	प्रतिशत
बहरेन	350000	130000	220000	169
कुवैत	579,390	295,000	284,390	96
ओमान	718,642	312,000	406,642	130
कतर	500,000	131,000	369,000	281
सऊदी अरब	1,789,000	1,500,000	289,000	2
यू ए ई	1,750,000	950,000	800,000	84
कुल	5,687,032	3,318,000	2,369,032	71

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ो पर आधारित (2012)

इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग दो तिहाई प्रवासी, लगभग 4 मिलियन, या तो अपनी संविदा के पूरे होने पर भारत वापस लौट आए या खाड़ी अथवा कहीं ओर के अन्य देशों में प्रवासन कर गए।

2002-12 में भारत के प्रमुख राज्यों से उत्प्रवास

Table

स्रोत: प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर (2013)

अत: भारत खाड़ी मार्ग परिक्रामी प्रवासन का एक उदाहरण पेश करता है जो कि हमारे विचार से एक खराब उदाहरण है। इससे संबंधित 3 बहुत खराब बातें हैं जैसे: प्रवासन की उच्च लागत जिसमें प्रवासी कामगार द्वारा वहन किए जाने वाली भर्ती लागत, वीज़ा और वर्क परमिट के लिए शुल्क शामिल है जिससे कामगार कर्जदार हो जाता है; कार्य संबंधी संविधाओं में मानकों का अभाव और उसे लागू न किया जाना जिससे रहने और काम करने की परिस्थितियां अच्छी नहीं मिलती और सामाजिक सुरक्षा का पूर्ण अभाव जिसके फलस्वरूप उम्र दराज होने पर उनके पास कोई सहायता नहीं होती। 21 वीं सदी के पहले दशक के दौरान स्थानिक और विकासात्मक परिवर्तनों ने भारत से खाड़ी देशों में प्रवासन के पैटर्न को अप्रत्याशित रूप से बदल दिया है। 2002-12 की अवधि के दौरान, जिसके लिए हम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, एक विशेष बात यह थी कि भारत में सबसे बड़ा और निर्धनतम राज्य उत्तर प्रदेश की कुल प्रवासी जनसंख्या नाटकीय ढंग से 5 प्रतिशत से बढ़ कर 26 प्रतिशत हो गई। उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 7 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसम की तुलना में 26 प्रतिशत की वार्षिक दर हो गई। पिछले दस वर्षों में तमिलनाडू का हिस्सा 22 प्रतिशत से कम हो कर 10 प्रतिशत हो गया, जिसमें वर्ष 2012 में प्रवासियों की कुल संख्या वर्ष 2002 की संख्या के समान ही थी। राष्ट्रीय औसत से तेज वृद्धि करने वाले अन्य राज्य आंध्र प्रदेश और राजस्थान थे। दो राज्यों का भविष्य देखने योग्य है- पिछले दशक में प्रवासी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है जबकि केरल, जो कि पारंपरिक रूप से खाड़ी में प्रवासन का गढ़ था, में उत्प्रवास की संख्या में काफी कमी आई है और खाड़ी में प्रवासी कामगार की दो प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ यह दूसरे स्थान तक नीचे आ गया।

विषम भाग्य - 2002-2012 में उत्तर प्रदेश और केरल से उत्प्रवास प्रवाह

Table

स्रोत: प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर (2013)

गंतव्य देशों में भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए सऊदी अरब सबसे लोगप्रिय गंतव्य देश है। पिछले दशक में उत्प्रवास की संख्या समग्र रूप से 7 प्रतिशत उत्प्रवास की तुलना में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है जिससे सऊदी अरब का हिस्सा 27 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत अथवा प्रवासी जनसंख्या का लगभग आधा हो गया है। जी सी सी देशों में सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत समग्र औसत में 7 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक तक बढ़े हैं जबकि यू ए ई में वृद्धि केवल 4 प्रतिशत है। कतर और कुवैत में क्रमश: 17 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिससे इनमें समग्र प्रवासी जनसंख्या का हिस्सा निरंतर बढ़ा है।

नीचे दिए गए ग्राफ में वर्ष 2002-2012 की अवधि के दौरान प्रमुख गंतव्य देशों में उत्प्रवास प्रवाह को दर्शाया गया है। स्पष्ट रूप से वर्ष 2008 संकट का समय था। जी सी सी देशों में संयुक्त अरब अमीरात और दुबई सबसे अधिक प्रभावित हुए। यू ए ई में उत्प्रवास जो कि वर्ष 2008 में 350,000 था, वह वर्ष 2009 में कम होकर लगभग 130,000 हो गया और अभी भी इसकी स्थिति ऐसी की बनी हुई है। इसके विपरीत वर्ष 2010 में वृद्धि में एक विराम के पश्चात सऊदी अरब में पहले वाला रूझान वापस आ गया है।

2002-2012 में प्रमुख गंतव्य देशों में उत्प्रवास के रूझान

Table

प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर (2013)

अब तक खाड़ी क्षेत्र ऐसा चुमबक बना हुआ है जो कि बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को आकर्षित करता है। परंतु कई विविध घटकों जैसे स्थिर वेतन, जीवन यापन की लागत में बढोतरी, विदेशी कामगारों पर प्रतिबंध लगाने का बढ़ता रूझान और कुछ हद तक खाड़ी देशों में घटती कमाई ने एक गंतव्य देश के रूप में खाड़ी देशों के प्रति आकर्षण को कम किया है। सऊदी अरब में निताकत कानूत और यू ए ई में बढ़ता राष्ट्रवाद तथा एकजुट होने की स्वतंत्रता सहित कामगारों के उचित अधिकारों के अभाव ने गल्फ देशों में मानव अधिकार संबंधी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मुक्त वीज़ा की काफला प्रणाली ने कामगारों पर ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिनसे उनके साथ अनुचित व्यवहार और उनका शोषण होता है। भारत को जी सी सी देशों के साथ अत्यंत सचेत होकर द्विपक्षीय समझौते करने चाहिए, यदि हम खाड़ी देशों में रह रहे और काम कर रहे लगभग 5 मिलियन प्रवासी भारतीय कामगारों की सुरक्षा कल्याण, और संरक्षणर को बढ़ाना चाहते हैं। अनुबंध 1 पर आवागमन सहभागिता करार का एक मसौदा रखा गया है जिस पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय विचार कर सकता है।

V अनियमित प्रवासन

जबकि भारत से अनियमित प्रवासियों की सटीक संख्या बताना कठिन है, इस बात का प्रमाण है कि यह उत्प्रवास, जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में तथा कुल संख्या के रूप में विश्व में सबसे कम है।

ई यू में अनियम प्रवासियों का आकलन 2008-2011

श्रेणी	2008	2009	2010	2011
ई यू की बाहरी सीमा में प्रवेश से मना कर दिया गया	3140	2260	2205	1720
अनियमितता विद्यमान पाई गई	20285	16675	14945	15130
बाहर जाने के आदेश दिया गया	18795	17025	15490	15325
भारत में वापस लौट आए	5125	6660	7790	7165

स्रोत: यूरोपियन माईग्रेशन नेटवर्क, 2012; ई यू, 2013

अधिकांश भारतीय प्रवासन खाड़ी देशों में होता है और यह स्वयं सिद्ध है कि भारत खाड़ी प्रवासन मार्ग में अनियमित प्रवासन के जोखिम सबसे अधिक हैं। जी सी सी देशों में उत्प्रवासियों के संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि अनियमित प्रवासी कौन है। अवैध प्रवेश और अनुमति से अधिक समय तक ठहरने के अतिरिक्त एक अन्य अनियमितता है जिसमें प्रवासी कामगार उसे प्रायोजित करने वाले नियोक्ता को छोड़कर किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करने लग जाता है। यह वीज़ा ट्रेडिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है जिसके माध्यम से नागरिक प्रत्याशित कामगार को वर्क वीज़ा तो बेच देते है पर उनके पास इन कामगारों को देने के लिए काम नहीं होता। सैद्धान्तिक रूप से यह अवैध है परंतु कई खाड़ी देशों में यह काफी फैला हुआ है। अंत में प्रवासी अपने नियोक्ता से भाग कर अवैध बन जाता है। (शाह, 2009)

दिसम्बर 2012 में यू ए ई सरकार ने अनियमित प्रवासियों के लिए माफी की घोषणा की। वे एक प्रायोजक ढूंढ कर अपने प्रवास को विनियमित कर सकते हैं अथवा थोड़ी सी पैनल्टी देकर अपने मूल देश वापस जा सकते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय वित्तीय सहायता और आपालकाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आबू दाबी में भारतीय मिशन में पहुंचे। दूतावास ने लगभग 2500 अनियमित भारतीय प्रवासियों को सर्वे इन्सट्रूमेंट जारी किए। इन आंकड़ों का विश्लेषण दिलचस्प बातें बताता है।

लगभग 80 प्रतिशत अनियमित प्रवासी भारत के चार प्रमुख राज्य -आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल और पंजाब- से आते हैं। प्राथमिक आंकडों के आधार पर ये निष्कर्ष इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि से राज्य अधिक जोखिम वाले राज्य हैं और इन राज्यों पर वास्तव में अधिक ध्यानपूर्वक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अधिक जोखित वाले इन राज्यों में ट्रेवल एजेन्टों, भर्ती एजेन्टों, शैक्षिक परामर्शदाताओं और अन्य सक्रिय बिचौलियों को व्यापक नेटवर्क भी बना हुआ है।

सर्वेक्षण किए गए अनियमित प्रवासियों में अधिकांश अर्थात - 57 प्रतिशत के विदेश में रह रहे मित्र और पड़ौसी, उन्हें उत्प्रवास के लिए जानकारी प्रदान करने के तथा नौकरी की खोज में मदद देने के प्राथमिक स्रोत थे। अनियमित प्रवासन में बेईमान बिचौलियों अथवा ऐसे लोगों की शक्ति काफी अधिक है, जो उन पर संदेह न करने वाले भारत के ग्रामीण गरीबों, अशिक्षित तथा अकुशल लोगों को सपने दिखा कर उन्हें ठग लेते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सर्वेक्षण किए गए लगभग 30 प्रतिशत अनियमित प्रवासी, ऐसे लोग थे जो नौकरी के वायदे अथवा रोजगार के आमंत्रण के बिना यात्रा पर जाने को तैयार थे। वे नौकरी की तलाश में उत्प्रवास का जोखम उठाने को तैयार थे। सर्वेक्षण में एक प्रश्न यह था कि प्रवासी ने उस एजेन्ट को कितना भुगतान किया जिसने उसके प्रवासन को सुगम

बनाया।

अनियमित प्रवासियों द्वारा एजेन्टों को कितना भुगतान किया गया:

जो तथ्य निकल कर सामने आता है वह यह है कि संभावी प्रवासी अपनी भविष्य की वार्षिक आय का 40 से 100 प्रतिशत तक एजेन्टों को विदेश में नई नौकरी की व्यवस्था करवाने के लिए देने को तैयार हैं।

Table

प्रवासियों का प्रतिशत/ उनके द्वारा भविष्य के वार्षिक वेतन के प्रतिशत के रूप में दी गई राशि

इस सर्वेक्षण का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि सर्वेक्षण किए गए 75 प्रतिशत प्रवासियों ने उत्प्रवास वर्क वीज़ा पर किया था। यह यूरोप में प्रवासन करने वाले अनियमित प्रवासियों के केस अध्ययन से प्राप्त उस पारंपरिक मत के बिल्कुल विपरीप था जिसके अनुसार पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में अनियमित प्रवासी यात्रा वीज़ा पर आते है और अपनी वीज़ा की अवधि के बाद भी वहीं रूक जाते हैं। इस सर्वेक्षण के प्रतिवादियों के मामले में केवल 27 प्रतिशत यात्रा वीज़ा पर गए और फिर वहां रोजगार प्राप्त किया। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश कामगार एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन करते हैं और उनकी संविदा के काल के दौरान उन्हें अनियमित कर दिया जाता है। यह एक चिंता का विषय है कि किस प्रकार खाड़ी देशों में कानूनी रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को आसानी से अनियमित बना दिया जाता है। इससे भी खराब बात यह है कि मूल देश और गंतव्य देश दोनों में सरकारों का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि इन प्रायोजकों के लापरवाह तरीके से इन कामगारों के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। आंकड़े बताते है कि वैध दर्जा वाले प्रवासी के रातोंरात अनियमित बनने के कारण असंख्य हैं। इस सर्वेक्षण के प्रतिवादियों के उत्तरों के विश्लेषण दिलचस्प निष्कर्ष मिलते हैं:

Table

अवैध बनने के कारण

स्रोत: आबू दाबी में भारतीय दूतावास द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित

एक तरह से राज्य ने जिसको छोड़ दिया है उस अनियमित प्रवासन उद्योग में अब मूल, पारगमन और गंतव्य देशों में निजी कंपनियों के संगठित नेटवर्क उपस्थिति बनाए हुए है। इस सबंध में कड़ी विधायी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। 'अनियमित प्रवासन निवारण अधिनियम' के कानून का मसौदा अनुबंध II पर है जिसे प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रस्तावित करने पर विचार कर सकता है।

यह पूछे जाने पर कि वे सरकार से किस प्रकार की मदद अथवा हस्तक्षेप चाहते हैं, सुधार के लिए बताए गए क्षेत्रों में सर्वाधिक भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी विनियमन एवं संस्थागत सहायता को बताया गया। सर्वाधिक 66 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि प्रवासी कामगारों और भर्ती एजेन्टों की भर्ती को अधिक कड़ाई से विनियमित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं।

VI. भविष्य के लिए नीति विकल्प

पुराने अनुभव ने यह दर्शाया है कि भारत को प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण में सुधार लाने के लिए आधार के रूप में प्रशासनिक तौर पर कार्य करने की बजाय निकास नियंत्रण से दूर जाना चाहिए। इसकी बजाय इसका आधार प्रवासियों का सशक्तिकरण होना चाहिए। ऐसे सशक्तिकरण द्वारा इस प्रक्रिया में प्रवासियों का पूर्ण और जानकारीप्रद आवागमन हो सके: जिससे वे प्रवासन प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकें, मुक्त बाज़ार में समानता से प्रवेश कर सकें और इस मार्ग में आने वाले जोखिमों को कम कर सकें। प्रवासन को व्यवस्थित करने के सिद्धान्त के रूप में प्रवासियों के सशक्तिकरण की ओर यह परिवर्तन इस विचार पर आधारित है कि एक प्रवासी को जानकारी और ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक कौशल होना चाहिए और अपने स्वयं के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए न कि वह इसके लिए सरकार अथवा भर्ती उद्योग पर निर्भर हो। इससे उत्प्रवास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकधारकों को संघटित करने के प्रवासन के 'जीवन-चक्र' दृष्टिकोण आवश्यक बन जाएगा।

इसके लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व अर्हता उस अंतर को समझना है जो प्रवासन की विद्यमान अवधारणा और प्रवासी को वास्तव में पेश आने वाले परिस्थितियों के बीच मौजूद है। इस अंतर को समझने के लिए हमने 100 इच्छुक प्रवासियों को अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जो कि विदेश जाने से पूर्व भारत में आठ मूल राज्यों के शहरों में स्थित प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के आठ कार्यालयों में उत्प्रवास अनापत्ति के लिए आवेदन कर रहे थे और अनापत्ति प्राप्त करने वाले थे।

उत्प्रवास अनापत्ति के समय सर्वेक्षण किए गए प्रवासियों के मूल राज्य:

Table

स्रोत: प्रोटेक्टर्स जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के कार्यालयों पर किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा तैयार किया गया, 2013।

उत्प्रवास प्रक्रिया पर इच्छुक प्रवासियों को एक सरल प्रश्नावली दी गई। इन आंकड़ों को विश्लेषण भविष्य के लिए नीति विकल्पों के लिए दिलचस्प निर्देशकों को दर्शाता है। यह सर्वेक्षण वर्ष 2013 में मई-जून के दौरान प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के आठ कार्यालयों- दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, हैदराबाद और कोलकाता- में किया गया था। प्रस्थान पूर्व किए गए सर्वेक्षण में लगभग 75 प्रतिशत प्रवासी, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र- छः राज्यों से आए थे। यह 2003-2012 की दस वर्ष की अवधि के बृहत आंकड़ों के अनुरूप है जिसमें महाराष्ट्र, जो कि आठवे स्थान पर है और पंजाब, जो कि सातवे स्थान पर है, के अलावा अन्य राज्य शीर्ष चार उद्भव राज्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाड़, केरल और पंजाब के चार राज्य पहले खण्ड में विश्लेषण और राजमाफी के दौरान यू ए ई में अनियमित प्रवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में शीर्ष चार राज्य हैं। संभावी प्रवासियों से पूछा गया कि प्रवासन पर उनकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था। फिर से लगभग 70 प्रतिशत प्रतिवादियों ने कहा कि उन्हें उत्प्रवास और संबंधित मामलों की पहली जानकारी मित्रों एवं रिश्तेदारों अथवा भर्ती एजेन्ट से मिली। यह तथ्य कि संभावी प्रवासियों में से 1 प्रतिशत से भी कम ने सरकारी विज्ञापनों पर भरोसा किया, आखें खोल देने वाला तथ्य है। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि प्रतिवादियों में से केवल 20 प्रतिशत ने अपनी जानकारी प्रोटेक्टर्स जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स अथवा माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर से प्राप्त की।

संभावी प्रवासियों की जानकारी के प्राथमिक स्रोत

Table

स्रोत: प्रोटेक्टर्स जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के कार्यालयों पर किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा तैयार किया गया, 2013।

यह पूछे जाने पर कि इच्छुक प्रवासी के लिए उत्प्रवास का सर्वाधिक कठिन पहलू क्या था, आधे से अधिक- 54 प्रतिशत- प्रतिवादियों ने सही जानकारी प्राप्त करने को सर्वाधिक कठिन बताया। विडम्बना यह है कि इसी क्षेत्र में सरकार का अभाव सबसे अधिक महसूस किया जाता है। यह हमारी नीति संबंधी प्राथमिकताओं में दिखाई देता है कि अधिकांश संसाधनों का प्रयोग ऐसे कार्यों पर होता है जिनका स्थान प्रवासियों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं में काफी नीचे आता है जैस- उत्प्रवास अनापत्ति, पासपोर्ट संबंधी पहलू आदर्श कार्य संविदाओं की समीक्षा- परंतु जानकारी और जागरूकता पर काफी कम ध्यान दिया जाता है। एक व्यवस्थित और उचित उत्प्रवास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मार्ग 'फर्स्ट माईल कनेक्टिविटी' है। यह एक गरीब, ग्रामीण, अकुशल कामगार की प्रवासन की जानकारी प्राप्त करने का तथा उस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का पहला प्रयास है क्योंकि वह एक उचित नियोजन का केन्द्र

Table उत्प्रवास में सर्वाधिक कठिन चीज

स्रोत: प्रोटेक्टर्स जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के कार्यालयों पर किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा तैयार किया गया, 2013।

Table सरकारी सहायता की आवश्यकता

इन दो मुद्दों का महत्व इस तथ्य से उजागर होता है कि ऐसे दो क्षेत्र हैं जिनमें सरकार और केवल सरकार ही उनकी ओर से प्रभावी रूप से शामिल हा सकती है। विदेशी नियोक्ता द्वारा बिना पूर्व अनुमोदन के सीधे नियोजन की अनुमति न देने और भागीदारी पर प्रतिबंध की नीति स्थानीय भर्ती एजेंटों द्वारा कार्टेल बनाए जाने का कारण है। इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है कि विदेशी एजेन्सियों की सीधी भागीदारी से रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक प्रवासी कामगारों के हितों पर किसी भी प्रकार का बुरा असर पड़ेगा। इन संरक्षात्मक उपायों के कारण प्रवासन लागत बढ़ने के साथ- साथ किराया की मांग भी प्रोत्साहित होती है; 'तीसरे पक्ष' द्वारा भर्ती के कारण प्रवासी कामगार के लिए नियोक्ता द्वारा अनुपालन न करने का जोखिम उत्पन्न हो जाता है और प्रवासी कामगार के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अत: पहला प्रमुख नीति परिवर्तन यह होना चाहिए कि विदेशी नियोक्ताओं द्वारा सीधे नियोजन की अनुमति दी जाए और विदेशी स्वामित्व वाली भर्ती एजेंसियों पर भारत में प्रचालन संबंधी प्रतिबंध हटाए जाऐं। दूसरा भारत को प्रवासियों के 'संरक्षण' के छोटे उद्देश्य से बाहर आकर आर्थिक प्रवासियों के

आवागमन को उदार बनाने के बड़े उद्देश्य की ओर जाना चाहिए। प्रवासन के लिए विधायी ढांचे को बनाने वाले उत्प्रवास अधिनियम 1983 विशिष्ट श्रेणी के नागरिकों के निकास नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित है। यह अपवाद द्वारा केवल ऐसे लोगों को संरक्षण देता है जिनके पास कम शैक्षणिक योग्यता होती है अथवा उन्हें जो कामगार अधिकारों का कम आदर करते हैं और वे गंतव्य देशों में जा रहे होते हैं। यह तथ्य कि एक भारतीय ई सी आर पासपोर्ट धारक है तुरंत ही प्रवासन प्रक्रिया में उसकी स्थिति को अलाभकारी बना देता है। इससे कारबार लागत बढ़ जाती है और उसे संरक्षण प्रणाली का शिकार बना देता है जिसमें उसे अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है जिसका भुगतान ई सी एन आर पासपोर्ट धारक को नहीं करना पड़ता। अत: भारत को सभी नागरिकों के लिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता अथवा उत्प्रवासन गंतव्य पर ध्यान दिए बिना, एक ही श्रेणी के पासपोर्ट देने की प्रणाली को अपनाना चाहिए। इससे काफी हद तक सुधार आएगा और इससे नागरिक समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर अपने निर्णय देने का दायित्व उठाने में सक्षम हो सकेगें । तीसरा तार्किक कदम प्रवासी कामगारों के लिए अपेक्षित उत्प्रवास स्वीकृति (ई सी आर) प्रणाली को समाप्त करना है। वैध यात्रा दस्तावेजों वाले किसी भी नागरिक को कानूनी तौर पर विदेश जाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गैर-भेदभाव और समान व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप न रहने वाले देशों के नामों की घोषणा करने खराब श्रम कानून; कम विश्वसनीय न्याय प्रणाली; विदेशी कामगारों के लिए घटिया जीवन और कार्यपरक स्थितियॉं और अपेक्षित उत्प्रवास स्वीकृति (ई सी आर) देशों के रूप में मानव अधिकारों को बनाए रखने का खराब ट्रैक रिकार्ड और उन्हें नकारात्मक सूची में रखने वाले संबंधी प्रणाली को जारी रखा जाए। भारतीय नागरिकों विशेषकर कम कुशल प्रवासियों के उत्प्रवासन की विनियामक निगरानी, विदेशी नियोक्ताओं और विदेशी भर्ती करने वालों तथा इन देशों से स्थानीय भर्ती एजेंटों के लिए भर्ती, नियोजन और काम तथा जीवन यापन की उचित स्थितियाँ संबंधी प्रवासन विनियम में वर्णित मानक मानदंड़ों को लागू करना कठिन हो सकता है। इससे भर्ती उद्योग पर विनियामक अनुपालन और प्रवासन प्रक्रिया के मानकों को पूरा करने का बोझ आ जाएगा। अंतत: विनियामक ढ़ांचे को एक गवर्नेंस ढांचे से प्रतिस्थापित किया जाए जो तीन बुनियादी रीतियों पर आधारित होगा: पहला, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन हेतु एक स्वतंत्र विनियामक की स्थापना का समय आ गया है। प्रवासन प्रक्रिया में अनेक सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति और विभिन्न हितधारकों के बीच हितों का संघर्ष यह बताता है कि निष्पक्षीय और स्वतंत्र विनियामक यह सुनिश्चित करने हेतु एक मुख्य संस्थागत मध्यस्थ हो सकता है कि सभी मानक मानदंडों को पूरा करें। दूसरा, एक मानक स्थापित करने वाले निकाय की स्थापना की जाए जिसके सदस्य विदेशी नियोक्ता और विदेशी तथा स्थानीय भर्ती करने वाले हों। इस निकाय का चार्टर इसके सदस्यों के बीच मानदंड़ों का विकास और उनका अनुपालन लागू करना है। यह निकाय सनदी लेखाकार संस्थान या लागत लेखाकर संस्थान और ऐसे ही पेशेवर निकायों के समान होगा। तीसरा, प्रोटेक्टर्स ऑफ इमीग्रेन्टस के कार्यालय को 'माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर्स' के रूप में परिवर्तित किया जाए और उसे सूचना का प्रसार, प्रवासन संबंधी मामलों पर जागरूकता पैदा करना, परामर्शी और एडवाजरी सेवाएं, प्रस्थान पूर्व

प्रबोधन, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रवासियों की ओर से विनियामक के साथ पक्षपोषण का काम करना है। संविदा आधारित एक मॉडल कार्य संबंधी करार अनुबंध-तीन पर है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जी सी सी देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह इस पर विचार करेगा और इसे स्वीकार करने पर दबाव डालेगा। प्रवासी प्रबोधन कार्यक्रम की रूपरेखा अनुबंध-पांच पर दी गई है। इसे प्रमुख मूल देश विशेषतौर पर महिला प्रवासियों के लिए आरंभ किया जाएगा।

(Vii) <u>कर्नाटक के लिए मॉडल कौशल पहल</u>

भारत के पास अपने जनांकिकीय विभाजन को एक जनांकिकीय त्रासदी बनने से रोकने का एक अनूठा अवसर और जिम्मेदारी है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें और राज्य स्तरीय संस्थान युवाओं का कौशल विकास करें। तथापि, *सभी के लिए एक आकार* (वन साइज फिट्स ऑल) का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। राज्यों को कौशल विकास में अपने तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाना चाहिए। इस खंड में मैंने इस बात को रेखांकित किया है कि युवाओं के लिए कौशल मिशन कैसा होना चाहिए। इस मॉडल को कनार्टक स्टेट ओवरसीज स्किल मिशन कहा जा सकता है। यह कर्नाटक के युवाओं को विदेश में कौशल आधारित तथा शारीरिक श्रम आधारित रोजगार हेतु व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने संबंधी पहल है। कर्नाटक को 'आई टी हब' के रूप में जाना जाता है और बंगलौर में अनेक आईटी कंपनियों में काफी लोग कार्यरत हैं। इनमें से कई कर्मचारी अधिकतर लिखाई-पढाई का काम और उच्च कौशल आधारित रोजगार हेतु विदेश में पलायन कर जाते हैं। इस उच्च-कौशल और पेशेवर रोजगार के लिए किसी सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कर्नाटक स्किल मिशन का प्रयोजन उन युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करना है जो निम्न आय वर्ग के उन लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु विदेश जाने की मंशा रखते हैं जो प्राय: शारीरिक श्रम और कौशल आधारित रोजगार के लिए व्यावसायिक कौशल में अपनी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ रहते हैं। दस्तावेज कर्नाटक में चिन्हित स्थलों पर चयनित क्षेत्रों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक दो-वर्षीय प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव करता है, नीचे राज्य का प्रोफाइल; जनांकिकीय प्रोफाइल; कौशल मिशन पहल हेतु तर्काधार; कर्नाटक में चालू व्यावसायिक पहल; कौशल मिशन और अन्य कार्यानवयन ब्यौरा विस्तार से दिया गया है और यह दस्तावेज एक निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

कर्नाटक भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी आबादी 52.8 मिलियन[8] है जो इसे भारत में नौवां सबसे बडा राज्य बनाती है। इसके उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह राज्य 29 प्रशासनिक जिलों में विभाजित है और इसकी लगभग 31 प्रतिशत आबादी शहरी है। लगभग 5 मिलियन शहरी आबादी राजधानी बंगलौर में रहती है। सूचना प्रोद्यौगिकी (आईटी) एक फलता-फूलता उद्योग है जो बंगलौर के आस-पास केन्द्रित है। बंगलौर को भारत की 'सिलिकन वैली' भी कहते हैं और यहां से वार्षिक रूप से 8.5 विलियन अमरीकी

[8] भारत की जनगणना, 2001

डालर[9] का सॉफ्टवेयर निर्यात होता है। राज्य में 66.6 प्रतिशत साक्षरता दर है।[10]

[9] पब्लिक इंफोर्मेशन डोमेन

[10] इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आई बी ई एफ), स्टेट प्रोफाइल ऑफ कर्नाटक, 2009

राज्य की जनांकिकीय रूपरेखा

1991 में देश की कुल जनसंख्या में कर्नाटक का हिस्सा 5.31 प्रतिशत था जो अब 2008 में घटकर 5 प्रतिशत रह गया है। राज्य की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर भी घट रही है, राज्य का जनसंख्या घनत्व 276 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है जो अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का भी 1991 के 69 प्रतिशत से कम होकर 2008 में 64 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारत के जनसंख्या आयुक्त द्वारा परिकल्पित जनसंख्या के अनुसार इस हिस्से के 2026 तक कम होकर लगभग 58 प्रतिशत तक होने की संभावना है जबकि कुल जनसंख्या 66.9 मिलियन होने की आशा है। ग्रामीण जनसंख्या के वर्तमान 36.7 मिलियन से बढकर 2026 में 38.6 मिलियन होने की आशा है जबकि शहरी जनसंख्या में भारी वृद्धि होने की आशा है और इसके 20.8 मिलियन से बढकर 2026 में 28.2 मिलियन होने की संभावना है।

राज्य की सकल प्रजनन दर 2005-06[11] में घटकर 2.08 हो गई और इसके 2012 तक और घटकर 1.8 होने की आशा है। राज्य जीवन प्रत्याशा में लगातार सुधार का साक्षी रहा है, 1971 में यह पुरूषों के लिए 49.7 वर्ष और महिलाओं के लिए 50.6 वर्ष थी जो अब 2008 में क्रमश: 62.8 वर्ष और 66.2 वर्ष है। जनांकिकीय परिवर्तन संबंधी यह रूझान राज्य की वहन क्षमता पर आधारित सततता की ओर बढ़ती जनसंख्या गतिशीलता का अच्छा संकेत है। नीचे दिया गया जनसंख्या पिरामिड वर्ष 2026 में पुरूष और महिला जनसंख्या का पूर्वानुमान दर्शाता है:-

[11] नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) सर्वे-111, MOH FW इनिशिएटिव

कर्नाटक जनसंख्या पिरामिड 2006

-चित्र-

स्रोत: कर्नाटक राज्य आयोजना बोर्ड, कर्नाटक सरकार, 2008

जनसंख्या पिरामिड में दिए डाटा से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं:- (1) *जनसंख्या वृद्धि को रोका जा रहा है*: 2026 तक 0-9 वर्षों के बीच पूर्णरूप से कमी, यह अवसंरचना पर कम दबाव, प्राथमिक शिक्षा और बालपरिचर्या सुविधाओं में परिणत हो सकता है। इन सेवाओं की गुणवत्ता और परिणाम पर काफी बल दिया जा सकता है।

कर्नाटक जनसंख्या पिरामिड 2026

-चित्र-

(2) *जनांकिकीय विभाजन से संभावित लाभ:* कर्नाटक में 2026 तक जनशक्ति की जनसंख्या (15-59 वर्ष) में 7.7 मिलियन वृद्धि होने की आशा है। राज्य के लिए यह एक अवसर हो सकता है यदि बढ़ती

हुई जनसंख्या को रोजगार योग्य बनाया जाए और इस बढती जनसंख्या के नियोजन हेतु ईष्टतम विकल्प सृजित किए जाएं:

(3) *वृद्धों की अधिक जनसंख्या:* जनंसख्या की औसत उम्र 2001 की 23.4 से बढकर 2026 में 33.4 वर्ष हो जाएगी। इसके साथ-साथ 60+ वाली जनसंख्या में भी भारी वृद्धि होने की आशा है।

उपरोलिखित बिंदु वर्ष 2026 तक कर्नाटक में कार्य करने की आयु वाले युवाओं की बढती जनसंख्या को रेखांकित करते हैं जो कर्नाटक के विकास और समृद्धि के लिए सकारात्मक काम कर सकते हैं। अत: राज्य को तद्नुसार इस बढती जनसंख्या को शिक्षित करने हेतु क्षमता निर्माण के साथ-साथ इस बढती युवा जनसंख्या को रोज़गार देने के रास्ते और अवसर तलाशने होंगे। नीचे वाला खंड उस अनिवार्य कौशल विकास के तर्काधार के बारे में बताता है जो विदेश में नियोजन हेतु कौशल विकास की ओर निदेशित है। कृपया यह नोट करें कि यद्यपि मिशन का ध्येय विदेश में नियोजन का है तथापि यह इस युवा वर्ग को उन कौशलों से सुसज्जित करता है जो उन्हें विश्व में कहीं भी रोजगार पाने योग्य बनाएगा।

प्रवासी कौशल मिशन (ओवरसीज स्किल मिशन) का तर्काधार

वर्ष 2026 तक जनशक्ति आबादी (15-59 वर्ष) 7.7 मिलियन की वृद्धि होने से कर्नाटक को भारी जनांकिकीय लाभ होगा जिससे राज्य में युवाओं की कुल संख्या बढकर 43.5 मिलियन हो जाएगी।[12] जबकि विश्व की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या बढ रही है और अमरीका, जर्मनी और जापान जैसी आर्थिक शक्तियों में अधिकांश की जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर की है।[13] इस वृद्ध होती जनसंख्या, युवाओं की कमी और अपेक्षित कौशल वाली जनशक्ति की कमी से वैश्विक रूप से मानव संसाधन की कमी (एचडीडी) उत्पन्न होगी। अत: भविष्य में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों, के लिए भारत में बढती युवा जनसंख्या के कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्नाटक में बढती कामकाजी उम्र वाली जनसंख्या को देखते हुए, देश में रोजगार की मांग को पूरा करने हेतु सीमित क्षमता के कारण बेरोजगारी बढ रही है। अत: कौशल विकास पहल के साथ-साथ दशकों से हमारी बढती युवा जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर तलाशना अनिवार्य हो गया है। आर्थिक प्रवासन या रोजगार के लिए विदेश प्रवासन देश में बेरोजगारी को काबू में करने का एक विकल्प है और यह उत्प्रवास, उत्प्रवासी के देश तथा गनतव्य देश के लिए लाभप्रद है। अत: विदेशों में रोजगार के बढ़ते अवसरों, कौशल की कमी तथा वृद्ध होती जनसंख्या को देखते हुए रोजगार के लिए प्रवासन भारी युवा जनसंख्या को इस ओर मोडने तथा इसके 'जनंकिकीय विभाजन' का लाभ उठाने का एक व्यवहार्य स्रोत है। रोजगार हेतु विदेश जाने वाला प्रत्येक प्रवासी घर पर एक रोजगार छोडकर जाता है और इस प्रकार घर में रोजगार के अवसर पैदा करता है। प्रवासन या पलायन को अब प्रवासी को प्राप्त करने वाले तथा भेजने वाले दोनों, देशों के

[12] कर्नाटक-ए विज़न फॉर डेवलपमेंट, कर्नाटक स्टेट प्लानिंग बोर्ड, दिसम्बर, 2008

[13] -तदैव- रेफरेंस 5

नजरिए से 'प्रतिभा पलायन' वाले पहले के नजरिए की अपेक्षा अब 'प्रतिभा प्राप्ति' माना जाता है। विदेश जाने वाले प्रवासी अपने कौशल और विशेषज्ञता से गन्तव्य देश और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद हैं। अपने गृह देशों के लिए प्रवासी धन-प्रेषण के रूप में न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं अपितु प्रवासी देश के विकास में अपनी बढ़ी हुई विशेषज्ञता से अपने गृह देश की भी सहायता कर रहे है; उद्यमिता नेटवर्क को बढा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के लिए रोजगार सृजित तथा उपलब्ध करा रहे हैं। रोजगार के अवसर के लिए कर्नाटक से विश्व के दूसरे भागों में जाने का एक भारी प्रवासन रूझान दिखाई पड़ता है। यह 'स्किल मिशन' निम्नआय वर्ग के उन लोगों, जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, को शारीरिक श्रम और कौशल आधारित रोजगार हेतु व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर देने का एक प्रयास है।

<u>कर्नाटक में चालू व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल</u>

राज्य में मॉड्यूलर एम्पलायबिलिटी स्कीम (एम ई एस) जैसी कुछ चालू व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण (बी ई टी) पहल हैं जो स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव स्कीम (एसडीआईएस) और क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम[14] के अंतर्गत चल रही हैं।

राज्य सरकारें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीआई/ आईटीसी) के माध्यम से क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम, जो डी जी ई एंड टी[15] द्वारा संचालित फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है, के अंतर्गत संस्थानिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। सरकार द्वारा हाल ही में एमईएस भी शुरू की गई है जिसका उद्देश्य स्कूल की पढाई बीच में छोडने वालों तथा अपनी शिक्षा पूरी न कर पाने वाले युवाओं के लिए नियोजनीयता और कौशल के बीच के फासले को कम करना है। एम ई एस 'मिनिमम स्किल सेट' जो लाभप्रद रोजगार हेतु पर्याप्त है, उपलब्ध कराने का दावा करती है। एम ई एस आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, बैंकिंग एंड अकांउटिंग, केमिकल, आई टी, गारमेंट्स निर्माण, रिटेल, अतिथ्य, ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देती है। कुछ सरकारी पहलों के साथ निजी क्षेत्र भी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जुलाई, 2010 में राज्य सरकार ने टीम लीज़ सर्विसेज के साथ मिलकर कर्नाटक एम्पलायबिलिटी सेंटर (के ई सी) स्थापित किया है जो सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) वाला देश का पहला रोजगार केन्द्र है। पीपीपी पूरे राज्य में 200 कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने पर भी काम कर रहा है।[16] हमारा प्रस्तावित मिशन ऐसे किसी कार्यक्रम से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। हमारा ध्यान केवल प्रवासी कौशल पर है जो हमारे उत्प्रवासियों को विदेशी गन्तव्य बाजार में मूल्य-प्रतिपूर्ति श्रृंखला की ओर बढने की अनुमति देता है। 'कर्नाटक स्टेट ओवरसीज स्किल मिशन' संबंधी

क. कार्यान्वयन योजना

---

[14] http://www.karskills.com/mes.html, एसेस्ड इन अक्तूबर, 2011

[15] -तदैव- रेफरेंस 8

[16] http://hindu.com/2010/11/12/stories/2010111265990900.htm.एसेस्डइन अक्तूबर, 2011

कौशल मिशन (स्किल मिशन) 2 वर्षों के लिए एक प्रायोगिक मिशन होगा जो कर्नाटक के 5 शहरों में विद्यमान शैक्षिक संस्थानों को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। हम हुबली-धारवाड़,मैसूर गुलबर्गा, बेलगाम और मंगलौर का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में विदेशी नियोजन हेतु 10 लाख/ 1 मिलियन को प्रशिक्षित करने की सोच के साथ कुल 2,000 यूवाओं को प्रशिक्षित करना है। कौशल प्रशिक्षण हेतु पहचाने गए क्षेत्र, अतिथ्य, स्वास्थ्य परिचर्या, विनिर्माण, शिक्षण और ओटोमोटिव हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को एक प्रतिष्ठित, विश्व विख्यात प्रमाणन निकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और उन्हें विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोर्स का एक व्यापक पाठ्यक्रम होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि ये छात्र अपने कार्यक्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धी हैं।

ख. लक्षित लाभार्थी

यह पहल चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिंदा कौशल विकसित करने पर ध्यान देती है। इस कार्यक्रम हेतु लक्षित युवा वे हैं जो अपनी पेशेवर शिक्षा को जारी रखने में असमर्थ हैं और बेहतर अवसरों के अभाव में ऐसे कॉलेजों/ संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं जो गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाते हैं। लक्षित युवा निम्न आय वर्ग के 18-23 वर्ष की आयु के होंगे। महिला अभ्यर्थियों और वंचित वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

विदेश में नियोजन हेतु स्किलमिशन के गुण-दोष

एक अच्छे प्रयोजन के लिए व्यावसायिक शिक्षा एक सार्थक और सशक्त माध्यम है। यदि वंचित युवा वर्ग, जो शिक्षा जारी नहीं रख सकते हैं, को कौशलपरक रोजगार हेतु नियोजन मिल जाता है तो इसका प्रभाव और अधिक दिखाई पडता है। इस परियोजना के लिए लक्ष्य कौशल विकास हेतु पिरामिड़ का निचला हिस्सा है। समाज का यह वर्ग काफी बडा है, उसकी जरूरतें तत्काल प्रकृति की हैं और उनका काफी कुछ दांव अच्छा और सतत रोजगार पाने पर लगा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने का लाभ यह है कि वे रोजगार में रहते हुए प्राप्त कौशल को बढाना और उसका निर्माण करना जारी रख सकते हैं। वे स्वरोजगार का विकल्प भी चून सकते हैं जिससे समुदाय को सहायता मिलती है क्योंकि अब एक व्यक्ति द्वारा रोजगार सृजित किया जा सकता है।

भविष्य में विश्वभर में कुशल कामगारों की भी मांग होगी क्योंकि जापान, जर्मनी और यूरोप में कामकाजी आयुवर्ग के लोगों की आयु भी बढेगी। कर्नाटक के पास इस वर्ग के काफी युवा हैं। वर्तमान में कर्नाटक से काफी संख्या में उच्च कौशल प्राप्त और पेशेवर व्यक्ति रोजगार के लिए विदेश जाते हैं; यह पहल कर्नाटक के लिए समाज के वंचित और कमजोर वर्ग को वैश्विक कौशल बाजार में बेहतर स्थिति में लाने हेतु समावेशी कौशल विकास का अवसर प्रदान करता है।

यदि इस जनांकिकीय अवसर का लाभ उठाया जाए तो इससे राज्य और विश्व को भारी लाभ होगा और जैसे-जैसे हम घरेलू और वैश्विक रूप से नियोजनीयता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे हम अपने जनांनिकीय विभाजन का वैश्विक रूप से अवसर उठा पांएगे और भारतीय डायसपोरा अनिवार्य रूप से 'कौशल और ज्ञान का डायसपोरा' बन रहा है तथा यह आर्थिक रूप से भी भारत के लिए लाभदायक होगा क्योंकि विदेश स्थित भारतीय भारी मात्रा में धन-प्रेषण कर रहे हैं और गन्तव्य देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी योगदान दे रहे हैं।

इस पहल के लिए बजट को (i) कौशल विकास केन्द्रों के निर्माण और उन्नयन हेतु पूंजी व्यय; (ii) अंतर्राष्ट्रीय विषय-वस्तु: प्रमाणन और प्रशिक्षण; (iii) प्रबंधन लागत; और (iv) अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं के साथ संपर्क, में विभाजित किया जाएगा।

इस प्रकार चूंकि आने वाले दशक में कर्नाटक की युवा जनसंख्या बढेगी, एक भारी उत्प्रवासी जनसंख्या का होना अवश्यंभावी है जिनमें से अधिकांश आर्थिक प्रवासी होंगे। स्किल मिशन का उद्देश्य इस अवसर को बढाकर युवा जनसंख्या को विश्वभर में सम्मानपूर्वक नियोजन हेतु योग्यताओं और क्षमताओं से परिपूर्ण बनाना है। इससे कर्नाटक् को बढते धन प्रेषण से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रेषणों से अतिरिक्त सामाजिक आनुषंगिक लाभ के माध्यम से आर्थिक रूप से लाभ होगा।

(VIII) <u>कार्यनीतिक नियोजन</u>

गत दो दशकों में, बड़े प्रवासी वैज्ञानिक समुदाय वाले कई देशों ने अपने निर्वासित 'ज्ञानवान कामगारों' को वापस लौटने हेतु आकर्षित करने वाली नीतियों को अपनाया है। विदेश जाने संबंधी सचलता को प्रोत्साहित करना वास्तव में क्षतिपूर्ति या पूर्वापेक्षा का मामला नहीं है। इसका काम सीखने, खोज करने और नवोन्मेषण के लिए स्थितियाँ पैदा करने, वैज्ञानिक स्वभाव की स्वतंत्रता देना; ऐसे संस्थान बनाना जो नवोन्मेषण को प्रोत्सहित करें और वैज्ञानिक खोज और नवोन्मेषण को लाभप्रद बनाने वाले बाजार हितैषी वातावरण को बढावा देने का है। 'ज्ञान के प्रसार' से लाभ प्राप्ति का प्रयास करने वाले देशों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि व्यक्ति प्रोत्साहन से अधिक चार कारकों ने उच्च कौशल प्राप्त वृत्तिकों के भारी संख्या में वापस लौटने में योगदान दिया है:

- उद्यमिता के लिए अनुकूल स्थितियां और उपभोक्ता मांग के प्रत्युत्तर में नवोन्मेषी कारोबार मॉडल का होना।
- मूल देश में एक कैम्पस स्थापित करने हेतु गन्तव्य देशों में संस्थानिक भागीदारी वाले उच्च शिक्षा और उत्कृष्टता केन्द्र।
- संस्थानिक आधार पर गृह देश में निर्वासित वैज्ञानिक समुदाय को वैज्ञानिक प्रतिष्ठान से जोडने हेतु उद्योग द्वारा वित्तपोषण और निवेशकों का उत्प्रेरक कार्यक्रम।

- बृहत सामाजिक चुनौतियों को दर्शाने वाली राष्ट्रीय अनुसंधान प्रणाली के भीतर संभावित उच्च निष्पादन वाले वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी और एक्सचेंज की क्वालिटी को बढाना।

परिक्रामी प्रवासन को प्रोत्साहित करना

यह अकल्पनीय और वस्तुत: अन्तर्ज्ञान विरोधी है कि हम प्रवासियों भारतीय से भारत लौटकर इसकी विकास प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा या आशा करें। भारत के विकास में भागीदारी करने या उसकी परियोजनाओं में सहायता देने का प्रयास करने में समय देने के इच्छुक और योग्य पेशेवरों को एक 'सामाजिक उद्यमिता नेटवर्क' के सदस्य के रूप में पंजीकृत करने हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए। सचलता संबंधी कार्यनीति और ज्ञान अंतरण कार्यक्रम का ध्यान सामाजिक क्षेत्र के विकास और नवोन्मेषण (बाजार संबंधी विचार) के उत्प्रेरक के उद्देश्य के साथ् 'बृहद सामाजिक चुनौतियों' का हल ढूंढनें हेतु अनुप्रयोगों उत्पादों और सेवाओं का सृजन करना है और इस प्रकार भारत के ग्रामीण/ शहरी मध्यम वर्गीय युवाओं को रोजगार खोजने वाले के स्थान पर वैज्ञानिक उद्यमी बनाना है। सेवा प्रदान करने को सुधारने हेतु नवोन्मेषण और प्रोद्यौगिकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्र प्रशिक्षण और दौरों के माध्यम से सामुदायिक क्षमता निर्माण से लाभ उठा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भारत वैज्ञानिकों और प्रोद्यौगिकी विदों में से प्रवासी भारतीय प्रतिभा को व्यवस्थित करें। इसके लिए त्रिपक्षीय आधार पर अर्थात् सरकार, उद्योग और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकत्ताओं तथा भारतीय उद्योग के बीच सामूहिक कार्य को बढावा देने वाला 'दि-गिफ्टेड' नामक एक प्रारूप कार्यक्रम अनुबंध-पॉच पर दिया गया है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम को विकसित करने पर विचार करे।

<u>सॉफ्ट पावर का विकास: कार्यनीतिक संसाधन के रूप में प्रवासी भारतीय</u>

तेजी से वैश्विक होते संसार में डायसपोरा समुदाय भूमंडलीकरण का परिणाम और प्रेरक दोनों है। भारतीय डायसपोरा की विशेषता विश्वभर का विशिष्ट समुदाय है जिसकी खासियत उनके प्रवासन की परिस्थितियों द्वारा निर्धारित हुई है। भारतीय मूल के ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अनेक देशों में निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में भी कार्यनीतिक नेतृत्व के उच्च पदों पर आसीन हैं और यदि उनका बुद्धिमानी से नियोजन किया जाए तो भारत को अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी लाभ होगा। अत: भारत को प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट करना चाहिए और एक कार्यनीतिक रिजर्व के रूप में इसका समर्थन करना चाहिए ताकि वह वैश्विक स्तर पर भारत के हितों का समर्थन करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक नीति बना सके। चाहे जलवायु परिवर्तन या आर्थिक विकास पर भारत का रूख हो, नए और उभरते वैश्विक वित्तीय ढांचे या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी जैसा राजनैतिक मामला

हो, भारत को सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात प्रवासी भारतीयों की सेवाएं लेने की सलाह दी जाएगी। जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति चाहता है तो प्रवासी भारतीयों का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ऐसे मुद्दों पर एकजुट होना जरूरी है जोकि भारत के लिए वैश्विक महत्व के हैं और ऐसे मंचों पर उनकी आवाज सुने जाने की आवश्यकता है।

<u>भारत को एक वरीयता प्राप्त मूल देश के रूप में अवस्थित करना</u>

भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन वाला एक प्रमुख देश है। मूल, संक्रमण और गन्तव्य का एक मुख्य देश होने के नाते भारत की इस बात में सामरिक रूचि है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति किस प्रकार स्पष्ट की जाए। नीति के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र नागरिक का यह व्यक्तिगत फैसला होता है कि वह विदेश जाए या न जाए भारत निश्चित रूप से एक सशक्त, पारदर्शी और व्यवस्थित प्रवासन प्रबंधन ढांचे से लाभ उठा सकता है। प्रवासन विनियामक प्रणाली के आधुनिकीकरण का अर्थ देश की भूमिका को पुन:तैयार करना है। देश को कार्यनीतिक हस्तक्षेपों- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नियोजन-और नीति निर्माण पर ध्यान देना चाहिए और विनियमन और बाजार आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र को सेवाएं देने का काम एक स्वतंत्र बाजार विनियामक के जिम्मेदार हाथों में देना चाहिए। ऐसे एक सशक्त प्रवासन कानून के केन्द्र में अनियमित प्रवासन का मुकाबला करने हेतु पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए और यदि इसके लिए तस्करी करने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा तो यह भविष्य में सचलता का अभिशाप बन जाएगा।

भारत को इन मुख्य चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है कि सर्वविदित जनांकिकीय विभाजन संभाव्यता को विदेश स्थित भारतीयों के लिए वास्तविक रोजगार अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। गंभीर जनांकिकीय खामी के साथ अधिकांश देशों में कामगारों की मांग और आपूर्ति में अंतर चक्रीय न होकर ढांचागत है। अत: अधिकांशत: पुरानी अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी कामगारों का स्रोत बनाना होगा। यदि भारत को इस अवसर का लाभ उठाना है तो उसे कौशल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली एक बडी जनशक्ति का निर्माण करना होगा। इसके लिए अल्प तथा मध्यम अवधि के लिए पर्याप्त घरेलू, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी । तथापि, मानव संसाधन के स्रोत हेतु भारत को एक वरीयता प्राप्त मूल देश के रूप में अवस्थित करने की हमारी क्षमता की भविष्यवाणी यह सुनिश्चित करने पर होगी कि हम एक कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन का मजबूत संवर्ग बना सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा ध्यान तीन बातों पर होना चाहिए:

- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समान मानक पाठ्यक्रम विकसित करना;
- कौशल स्तरों के मानकीकृत परीक्षण की शुरूआत करना, और

- **कौशल का स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण।**

भारत को एक ऐसी कार्य योजना पर चलना चाहिए जो कि चुने हुए क्षेत्रों और चुने हुए कौशलों में पहचान बनाए जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो और अगले 5-10 वर्षों में विदेश में रोजगार के लिए कौशल कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। कार्यनीति का दूसरा तत्व ऐसे गंतव्य देशों की पहचान करना है जहां मांग के आधार पर भारत मध्यम और दीर्घकाल तक आवश्यक कौशल को पूरा कर सके।

<u>नए गन्तव्य देशों में कार्यनीतिक आर्थिक पकड़ स्थापित करना</u>

भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और आने वाले वर्षों में विश्व का सबसे युवा देश होगा। यह उसे बचत और निवेश की सबसे बडा चाहत वाला देश बनाता है। किंतु इसका यह अर्थ भी है कि एक राष्ट्र के रूप में, हमारी भूख और मांग ऊर्जा (तेल, गैस और परमाणु शक्ति), खाद्यान्न, प्राकृतिक संसाधनों और रोजगार के लिए होगी। विश्व के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उसे जोडने और देश से बाहर बेहतर प्रतिभा की आवाजाही को सुकर बनाने से हमारे दीर्घकालिक हितों की बेहतर तरीके से पूर्ति होगी। विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थलों पर कुशल और प्रशिक्षित लोगों की सचलता उन देशों के साथ कार्यनीतिक आर्थिक भागीदारी बनाने में भी सहायक होगी जो संसाधन में समृद्ध और अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। इस संबंध में अफ्रीकी महाद्वीप एक पथप्रदर्शक है। हमारी आर्थिक प्रवासन प्राथमिकताएं हमारे गन्तव्य आधार-मध्यपूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया और पश्चिमी संसार में परम्परागत देशों से परे-और लैटिन अमरीका को विविधीकृत करने की आवश्यकता को शामिल करे। कार्यनीतिक आर्थिक पकड बनाने का अर्थ यह भी है कि 'आउट-माइग्रेशन'-शारीरिक श्रम, कौशल आधारित और दफ्तरी कामगार से परे की पद्धति में-कृषक, छोटे और मंझौले उद्यमी और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने हेतु परिवर्तन होना चाहिए। इन नए गंतव्य देशों में अवसंरचना में कृषि, बागवानी, खनन, वायदा बाज़ार पर ध्यान देते हुए आरंभ में कदम उठाने का लाभ लेना, उपयोग सेवाएँ और नियोजन प्रदान करने से भारत को आर्थिक कार्यनीतिक पकड़ बनाने में मदद मिलेगी जिसकी इसे उभरते वैश्विक वित्तीय ढांचे में प्रभाव बनाने के लिए जरूरत होगी। यह उन देशों की भावी आर्थिक प्रगति को नया रूप देने में भी अपनी भूमिका निभा पाएगा।

संभावित प्रवासन बेशुमार है किंतु सभी एक सीमाहीन संसार की परिकल्पना करते हैं। यद्यपि देश कुछ समय के लिए बने रहेंगे और सीमाएं पार करना कठिन होगा, लोगों की मुक्त आवाजाही की प्रक्रिया निश्चित रूप से अपरिहार्य है। यह मात्र आर्थिक अनिवार्यता नहीं है अपितु यह एक सांझा भविष्य के प्रति आवाजाही की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। यदि भारत को विश्व के भावी प्रवासन में अपनी न्यायसंगत भूमिका निभानी है तो उसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के स्वतंत्र होने की अर्धरात्रि को भारत की *'नियति से मिलन'* पर बोले गए सुबोध शब्दों को स्मरण करना होगा और हम उद्धृत करते हैं "और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा, और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं, आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी, अब इस दुनिया को छोटे-छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है।"

ये शब्द जितने गुंजायमान आज है उतने पहले कभी नहीं थे।

.....

अनुबन्ध- एक

कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों के संचलन को विनियमित करने के लिए भारत और (गन्तव्य देश का नाम) के मध्य प्रारूप सचलता भागीदारी करार

भारत गणराज्य की सरकार और .....किंग्डम, जो इसके बाद संविदाकारी पक्ष होंगे, जनता की सचलता के माध्यम से अपने विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की पुन:अभिपुष्टि की इच्छा से प्रेरित होकर एक व्यवस्थित और समन्वयकारी तरीके से भारत से (गन्तव्य देश का नाम) में वर्तमान प्रवासन को विनियमित करने; अन्तर्राष्ट्रीय विधि और अभिसमयों द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उपयोग करने हेतु (देश) में आए भारतीय कामगारों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से इस बात से आश्वस्त होकर कि प्रवासन एक सामाजिक-आर्थिक क्रिया है जो अपने लोगों को समृद्ध बनाती है और आर्थिक तथा सामाजिक विकास में योगदान देती हैं, सांस्कृतिक विविधता को बढावा देने तथा प्रौद्योगिकीय अंतरण को प्रेरित करने; अपने राष्ट्रीय विधानों में दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों और गारंटी का सम्मान करने की आवश्यकता को समझते हुए; मानव अधिकारों का सम्मान करने को बढावा देने को प्रयास करने, अनियमित प्रवासन और कामगारों के शोषण को रोकने, वापसी और पुनर्व्यवस्थापन को विनियमित करने और सामान्य हितों के संदर्भ में निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

उद्देशिका

अनुच्छेद-1

इस करार के प्रयोजनार्थ भारत के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और (देश) के लिए, श्रम मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी होंगे।

अनुच्छेद-2

इस करार के प्रयोजनार्थ प्रवासी कामगार वे भारतीय नागरिक हैं जो उन्हें (देश) द्वारा जारी वर्क वीज़ा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए (देश) में रहने और काम करने के लिए प्राधिकृत हैं।

<u>अध्याय-एक</u>

नियोजन के प्रस्ताव की अधिसूचना

अनुच्छेद-3

(देश) के प्राधिकारी नई दिल्ली में दूतावास के माध्यम से प्रत्येक वर्ष के आरंभ में भारतीय प्राधिकारियों को विद्यमान रोजगार रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कामगारों की संख्या और उनकी प्रकृति के बारे में अधिसूचित करेंगे। भारतीय प्राधिकारी नई दिल्ली में स्थित (देश) के दूतावास के माध्यम से (देश) के प्राधिकारियों को (देश) में जाने के इच्छुक भारतीय कामगारों से उनकी मांग पूरा करने की संभावना के बारे में अधिसूचित करेंगे।

रोजगार के प्रस्ताव में कम से कम यह शामिल होंगे:-
क्षेत्र, कार्यकलाप का भौगोलिक क्षेत्र और कामगारों को किराए पर लेने वाले नियोक्ता,
प्रत्येक नियोक्ता द्वारा किराए पर लिए जाने वाले कामगारों की संख्या, उनके चयन, नियुक्ति और काम प्रारंभ करने की प्रक्रिया और समय सीमा, संविदा की अवधि,
कार्य करने की शर्तें, मेहनताने की जानकारी,

आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ।

3. भारतीय प्राधिकारी (देश) में नियोक्ताओं से प्राप्त हुए रोजगार के प्रस्तावों के बारे में (देश) के प्राधिकारियों को अधिसूचित करेंगे।

<u>अध्याय-दो</u>

अर्हता, यात्रा और प्रवासी कामगारों को स्वीकृति देने का मूल्यांकन

अनुच्छेद-4

अर्हताओं और प्रवासी कामगारों की यात्रा का मूल्यांकन निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा:
1. अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की पूर्व-जांच राज्य स्तर पर पदनामित उपयुक्त अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से भारत में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमीग्रेन्टस द्वारा की जाएगी। कौशल आवश्यकताएं पूरी करने वाले उम्मीदवारों को एक चिकित्सा परीक्षा और प्रबोधन प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा।

2. संविदाकारी पक्षों की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा परीक्षा जांच की जाएगी और उसमें नियोक्ता या उसके एजेंट शामिल होंगे और वे विद्यमान रोजगार प्रस्तावों के लिए सर्वश्रेष्ठ अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का चयन करने, आवश्यक किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संचालित करने और पूरी प्रक्रिया के दौरान कामगारों को सलाह देने और सहायता देने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि दोनों पक्ष अनुरोध करेंगे तो सिविल सोसाइटी संविदाकारी पक्षों द्वारा पदनामित प्रवासन और विकास हेतु सहयोग के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्तर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

3. चयनित कामगार सामान्यता 30 दिन के भीतर एक संविदा पर हस्ताक्षर करेंगे और अनुरोध पर यात्रा दस्तावेज प्राप्त करेंगे। कार्यसंविदा (वर्क कंट्रेक्ट) की एक प्रति भारतीय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जब आवश्यक हो तो इस करार के अनुच्छेद 15 के तहत स्थापित संयुक्त समिति के अनुमोदन से ही कार्य संविदा में संशोधन किया जा सकता है।

4. इस करार की रूप रेखा के भीतर वर्क वीज़ा हेतु अनुरोध पर उपयुक्त (देश) के वाणिज्य दूतावास द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पासपोर्ट में वीजा स्टाम्प में उसके प्रकार, प्रयोजन और (देश) में प्रधिकृत रूप से प्रवास की अवधि विनिर्दिष्ट हो। जब अवधि एक वर्ष या उससे कम हो तो वीज़ा इस प्रवास के दस्तावेज की जरूरत को पूरा करे।

अनुच्छेद-5

1. भारतीय अधिकारी उस (देश) के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने संबंधित धारिता क्षेत्रों में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमीग्रेन्टस द्वारा पूर्व-जांच की प्रक्रिया में सभी सहायता प्रदान करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो वे चयनित कामगारों के प्रबोधन और प्रशिक्षण और कार्य करार में विनिर्दिष्ट और अनुमोदित समय सीमा के भीतर (देश) में उनकी यात्रा की प्रक्रिया में सहायता देगा। भारत से (देश) की यात्रा और उससे संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पर हुए व्यय को नियोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

2. यात्रा से पूर्व कामगार अपने गन्तव्य पर पहुंचने और उनके प्रवास, कार्य, ठहरने और मेहनताने की शर्तों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा।

3. उपयुक्त (देश) प्राधिकारी प्राथमिकता और अनुमोदित समयविधि के भीतर आप्रवासियों को उनके प्रवास और कार्य हेतु आवश्यक परमिट प्रदान करेंगे।

<u>अध्याय-तीन</u>

प्रवासी कामगारों के श्रम और सामाजिक अधिकार

अनुच्छेद-6

अपने घरेलू विधान और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसरण में, एक बार अपेक्षित वर्क वीज़ा जारी किए जाने पर (देश) प्रवासी कामगारों को (देश) के नागरिकों के समान उनको लाभदायक श्रम या कुशल अथवा अर्धकुशल कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

यदि संविदा की अवधि तीन वर्ष से अधिक है तो भारतीय प्रवासी कामगारों को अपने परिवार को (देश) में लाने को अधिकार होगा और उन्हें कार्य संविदा की अवधि के दौरान निवास की अनुमति होगी।

अनुच्छेद-7

प्रवासी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में भागीदारी सहित वेतन और अन्य कार्य संबंधी शर्ते उनकी कार्य संविदा में प्रदर्शित की जाएगी और वह समान अर्हता के साथ समान कार्य करने वाले (देश) के कामगारों के लिए विद्यमान विधान के अनुरूप होगी।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कामगार के मूल वेतन के 7 प्रतिशत का अंशदान और नियोक्ता द्वारा प्रतिमाह 7 प्रतिशत का समतुल्य अंशदान शामिल है। यह राशि कामगारों को प्रदत्त पेंशन हेतु दी जाएगी।

अनुच्छेद-8

प्रवासी कामगार अनुच्छेद 7 में वर्णित सामाजिक सुरक्षा और इस करार के अनुच्छेद-15 के अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ लेने और वचनबद्धता के अध्यधीन होंगे।

अनुच्छेद-9

नियोक्ताओं और प्रवासी कामगारों के बीच उत्पन्न मतभेदों को देश के कानून और इस द्विपक्षीय करार के अनुरूप सुलझाया जाएगा। संयुक्त समिति नीति संबंधी मामलों पर एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में काम करेगी।

<u>अध्याय-चार</u>

प्रवासी कामगारों की वापसी और पुनर्व्यवस्थापन

अनुच्छेद-10

संविदाकारी पक्ष कामगारों के कार्य संविदा के पूरे होने पर भारत में उनकी व्यवस्थित वापसी और पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित करने हेतु समन्वित उपाय अपनाएंगे।

इसके लिए भारत इस तरीके से पुनर्व्यवस्थापन उपाय करेगा जो भारत लौटने वाले प्रवासी कामगारों के कौशल और अनुभव का उपयोग लधु और मध्यम उद्यम की स्थापना में करेगा और मानव संसाधन विकास और प्रोद्यौगिकी के अंतरण को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों को प्रोत्साहन देगा।

अनुच्छेद-11

1. प्रत्येक देश के कानून में अंतर्विष्ट अधिकारों और गारंटियों के बारे में पूर्वधारणा के बिना प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अन्य संविदाकरी पक्ष, किसी व्यक्ति जो अनुरोध करने वाले पक्ष के कार्यक्षेत्र में रहते हुए प्रवृत प्रवेश या निवास आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में असफल रहता है, के अनुरोध पर उसे अपने कार्यक्षेत्र में पुन:प्रवेश देगा, बशर्ते कि यह प्रदर्शित किया जाए कि वह व्यक्ति उस संविदाकारी पक्ष का नागरिक है जिसको अनुरोध किया गया है।

2. अनुरोध करने वाला संविदाकारी पक्ष प्रश्नगत व्यक्ति को पुन:प्रवेश देगा बशर्ते कि यह प्रदर्शित किया जाए कि वह उस संविदाकारी पक्ष का नागरिक नहीं था जिसको अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष के कार्यक्षेत्र से प्रस्थान के समय अनुरोध भेजा गया था।

3. इस अनुच्छेद के पैरा-1 के उपबंधों के होते हुए भी, अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में गैर-प्रलेखीय व्यक्तियों के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा ताकि ऐसा अनुरोध करने वालों को यह गारंटी दी जाए कि संबंधित दूतावास अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष के कार्यक्षेत्र में नियोजन की गांरटी के साथ उनके निवास और वर्क वीज़ा के लिए तत्काल (फास्ट-ट्रैक) कार्रवाई करेंगे।

<u>अध्याय-पांच</u>

इस करार के अनुप्रयोग और समन्वय के लिए उपबंध

अनुच्छेद-12

(देश) का श्रम मंत्रालय, (देश) की सरकार और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार इस करार के प्रवर्तन के लिए पदनामित सक्षम प्राधिकारी होंगे और इसे लागू करने के लिए अपेक्षानुसार एक-दूसरे से सहयोग और सलाह करेंगे।

इस करार के प्रवृत होने से पूर्व, संविदाकारी पक्ष कूटनीतिक माध्यमों से एक-दूसरे को अनुच्छेद-1 में निर्दिष्ट द्वारा पदनामित प्राधिकारियों के नाम अधिसूचित करेंगे जो करार में स्थापित प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करेंगे।

यदि इस करार को लागू करने में कठिनाइयां आएं तो पदनामित सक्षम प्राधिकारी कूटनीतिक माध्यमों से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद-13

भारतीय और (देश) के प्राधिकारी प्रवासन के व्यवस्थित प्रबंधन विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने कि भारतीय प्रवासी कामगारों के मूल अधिकारों का सम्मान और उनका संरक्षण तथा कल्याण सुनिश्चित हो, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे। इस सहयोग में अनियमित प्रवासन के विरूद्ध संघर्ष में नजदीकी सहयोग भी शामिल है।

अनुच्छेद-14

पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित सहयोग के एक घटक के रूप में, संविदाकारी पक्षकार संभावित प्रवासियों को उनके अधिकारों तथा सामाजिक दायित्वों के बारे में जानकारी देने और अनियमित प्रवासन के जोखिम और परिणामों तथा नकली या परिवर्तित दस्तावेजों के उपयोग से बचने और बिचौलियों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के बारे में शैक्षिक अभियान चलाएंगे।

अनुच्छेद-15

इस करार के अंतर्गत निम्न के लिए प्रत्येक देश के चार से अनाधिक सदस्यों वाली एक संयुक्त समन्वय समिति स्थापित की जाएगी:

1. इस करार का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक उपायों का निर्धारण करना।

2. जहां उपयुक्त लगे वहां संशोधनों का सुझाव देना।

3. दोनो देशों में करार की विषय वस्तु का समय पर प्रसार करने हेतु व्यवस्था करना।

4. इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न हुई किसी कठिनाई का समाधान करना।

समिति किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर पारस्परिक करार द्वारा निर्धारित शर्तों और तारीखों के तहत वर्ष में कम से कम एक बार बारी-बारी से भारत और (देश) में मिलगी। प्रत्येक देश के सक्षम प्राधिकारी सदस्यों को पदनामित करेंगे।

अनुच्छेद-16

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को प्रवृत करने हेतु घरेलू विधिक आवश्यकताएं पूरी होने के बारे में अधिसूचित करेगा

2. यह करार दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को यह अधिसूचित किए जाने कि इस करार को प्रवृत्त करने हेतु घरेलू विधिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, के बाद दूसरे माह के प्रथम दिन को प्रवृत हो जाएगा।

3. यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 दिनों के पश्चात् अनन्तिम रूप से लागू हो

जाएगा।

4. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए होगा।

5. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था का जनस्वास्थ्य के कारणों के लिए एक विनिर्दिष्ट अवधि हेतु इस करार के प्रवर्तन को पूर्णतया या आंशिक रूप से आस्थगित कर सकता है। इसे स्वीकार करने या रद्द करने की सूचना कूटनीतिक माध्यमों से यथाशीध्र दी जाएगी। इस करार के प्रवर्तन को ऐसे आस्थगन के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचित किए जाने की तारीख से आस्थगित माना जाएगा।

6. कोई भी संविदाकारी पक्ष कूटनीतक माध्यमों से इस करार का लिखित रूप से त्याग सकता है। करार त्याग करने की अधिसूचना के 90 दिनों के पश्चात समाप्त् हो जाएगा।

इस करार पर 29 मई, 2001 को अंग्रेजी भाषा में दो समान वैध प्रतियों में ---------- हस्ताक्षर किए गए।

भारत सरकार की ओर से

(देश) की सरकार की ओर से

अनुबंध-दो

आदर्श विधि : अनियमित प्रवास निवारण अधिनियम

भारत से अनियमित प्रवास का निवारण करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के -- वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

अध्याय 1. सामान्य उपबंध

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोजनीयता और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनियमित प्रवास निवारण अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है तथा यह भारत से बाहर भारत के नागरिकों पर भी लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में:-

(क) 'बालक' से 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) 'वाणिज्यिक वाहक' से अभिप्रेत है कोई विधिक अथवा प्राकृतिक व्यक्ति, जो वाणिज्यिक हितलाभ के लिए माल अथवा व्यक्तियों के परिवहन के कार्य में लगा हुआ है;

(ग) 'वित्तीय और अन्य तात्विक लाभ' में शामिल है किसी भी प्रकार का वित्तीय अथवा गैर-वित्तीय प्रलोभन, संदाय, रिश्वत, पारितोषिक, लाभ, विशेषाधिकार अथवा सेवा (जिसमें यौन अथवा अन्य सेवाएं भी शामिल हैं);

(घ) 'कपटपूर्ण यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज' से अभिप्रेत है कोई यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज;

(ङ) जिसे किसी ऐसे व्यक्ति या एजेंसी जो राज्य की ओर से यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज बनाने अथवा जारी करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत है, के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा किसी तात्विक रूप में गलत तरीके से बनाया अथवा परिवर्तित किया गया है;

(च) जिसे विरूपण, भ्रष्टाचार अथवा बल प्रयोग के माध्यम से अथवा किसी अन्य विधिविरुद्ध तरीके से जारी किया अथवा प्राप्त किया गया है;

(छ) जिसे किसी अधिकारप्राप्त धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ज) 'अनियमित प्रविष्टि' से अभिप्रेत है किसी प्राप्तकर्ता राज्य में विधिक प्रविष्टि के लिए आवश्यक अपेक्षाओं का पालन किए बिना सीमा को पार करना;

(झ) 'गैर-पुनर्निरुद्धीकरण' से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत जो किसी राज्य से किसी व्यक्ति के, किसी भी रीति से, उन सीमाओं के परिक्षेत्रों में वापसी को प्रतिषिद्ध करते हैं जहां उसका जीवन अथवा स्वतंत्रता नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह अथवा राजनीतिक विचार की सदस्यता के कारण संकट में है अथवा जो यातना, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार अथवा अपूरणीय क्षति के किसी अन्य रूप का जोखिम झेलता है। पुनर्निरूद्धीकरण में शामिल है कोई कार्रवाई जिसमें किसी व्यक्ति के राज्य में रोकने का प्रभाव शामिल है जिसमें निष्कासन, निर्वासन, सीमा पर अस्वीकरण, सीमेत्तर अवरोधन और भौतिक वापसी सम्मिलित है;

(ञ) 'गंभीर अपराध' से अभिप्रेत है न्यूनतम चार वर्ष के अधिकतम कारवास अथवा अधिक गंभीर शास्ति से दण्डनीय कोई अपराध;

(ट) 'अनियमित प्रवास' से अभिप्रेत है इस विधि के अध्याय-II के अंतर्गत अपराधीकृत समस्त आचरण;

(ठ) 'अनियमित प्रवासी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस विधि के अध्याय-II के अंतर्गत अपराधीकृत आचरण का प्रयोजन है; भले ही अपराधकर्ता को पहचान लिया गया हो, हिरासत में लिया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो अथवा सिद्धदोष किया गया हो;

(ड) 'नयाचार राज्य' से अभिप्रेत है भूमि, सागर और हवाई मार्ग द्वारा प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध नयाचार के राज्य पक्षकार जिसमें परराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अनुपूरित किया गया है;

(ढ) 'जलयान' से अभिप्रेरत है किसी भी प्रकार का जलवाहन जिसमें गैर-विस्थापन' क्राफ्ट और समुद्री जहाज भी शामिल है, जिसका प्रयोग जल पर परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है अथवा जो इसके लिए समर्थ है, सिवाय युद्ध-पोत, नौसेना सहायक बेड़े तथा अन्य जलयानों के जिन्हें सरकार द्वारा धारित और संचालित किया गया है तथा कुछ समय के लिए केवल सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए प्रयोग में लाया गया है।

3. उद्देश्यों का कथन

1. इस अधिनियम के प्रयोजन हैं :-

(क) अनियमित प्रवास का निवारण करना और नियंत्रित करना;

(ख) अनियमित प्रवासियों के अधिकारों का संरक्षण करना; और

(ग) इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रवर्तित करना और सुकर बनाना।

2. यह विधि प्रवासियों की तस्करी के समस्त स्वरूपों पर लागू होगी, चाहे वे संगठित अपराध (किसी संगठित अपराध समूह) से जुड़े हों अथवा नहीं।

अध्याय - II आपराधिक अपराध

4. अनियमित प्रवास

कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: वित्तीय अथवा अन्य तात्विक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर उस नयाचार राज्य में, किसी व्यक्ति का अनियमित प्रवेश कारित करवाता है, जिसका ऐसा व्यक्ति राष्ट्रिक या स्थायी निवासी नहीं है, तो वह छह वर्ष से अन्यून कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध कारित करेगा।

5. यात्रा अथवा पहचान दस्तावेजों के संबंध में अपराध

कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कोई वित्तीय अथवा अन्य तात्विक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवासियों की तस्करी को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ कपटपूर्ण यात्रा या पहचान दस्तावेज प्रस्तुत प्राप्त करता, उपलब्ध कराता अथवा धारण करता है, वह चार वर्ष से अन्यून कारवास द्वारा दण्डनीय अपराध कारित करेगा।

6. अनियमित निवास को समर्थ बनाना

कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: वित्तीय अथवा तात्विक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति, जो किसी राष्ट्र का राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी नहीं है, को उस राज्य में अवैध रूप से रहने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना जानबूझकर अनियमित साधनों का प्रयोग करता है, वह चार वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करता है।

7. अनियमित प्रवास के लिए प्रयास

कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने का प्रयास करता है वह तीन वर्ष से अन्यून कारावास का दायी होगा।

8. अनियमित प्रवास में एक सहयोगी के रूप में भागीदारी

कोई व्यक्ति, जो अनुच्छे 5क, 5ख अथवा 5ग के अंतर्गत किसी अपराध में सहयोगी के रूप में भागीदारी करता है, जहां इसमें कपटपूर्ण यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है, इस अध्याय के अंतर्गत ऐसा अपराध कारित करता है जो तीन वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डनीय होगा।

9. अनियमित प्रवास संगठित अथवा निर्देशित करना

कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अंतर्गत कोई अपराध कारित करने करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को संगठित करता है वह छह वर्ष से अन्यून कारावास का दायी होगा।

10. प्रवासियों की तस्करी और अनियमित प्रवास को समर्थ बनाना

कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: वित्तीय अथवा तात्विक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विधि का उल्लंघन करते हुए किसी राज्य [राज्य का नाम] अथवा नयाचार राज्य में किसी अन्य व्यक्ति का वास्तविक या आशयित प्रवेश कराने, उससे होकर गुजरने अथवा वहां प्रवास करने के प्रयोजन को प्राप्त करने, उसे सुकर बनाने अथवा उसे प्रवर्तित करने के कार्य में लगता है, वह ऐसा अपराध कारित करता है जो छह वर्ष से अन्यून अवधि के लिए दण्डनीय होगा।

11. कपटपूर्ण यात्रा अथवा पहचान दस्तावेजों के संबंध में अपराध

कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कोई वित्तीय या अन्य तात्विक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी परिस्थितियों में, जहां व्यक्ति यह जानता है अथवा उसे युक्तियुक्त रूप से जानना चाहिए अथवा यह विचार करना चाहिए कि उस दस्तावेज का प्रयोग प्रवासियों की तस्करी को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ किया जाना है, कोई कपटपूर्ण यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज प्रदान करने, वितरित करने, प्रस्तुत करने, प्राप्त करने, सौंपने और धारण करने के प्रयोजन के लिए किसी आचरण में संलिप्त होता है, वह ऐसा अपराध कारित करता है, जो चार वर्ष से अन्यून कारावास से दण्डनीय है।

12. प्रवासियों की तस्करी से संबंधित अपराध

1. कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कोई वित्तीय या अन्य तात्विक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति, जो किसी राज्य अथवा किसी नयाचार राज्य का राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी नहीं है, को उत्प्रवास विधि का उल्लंघन करते हुए उस राज्य में प्रवेश करने, उससे होकर गुजरने अथवा उसमें रहने के कार्य में जानबूझकर संलिप्त होता है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करता है।

2. कोई व्यक्ति, जो उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के अंतर्गत सिद्धदोष होता है, वह छह वर्ष से अन्यून तथा दस वर्ष से अनधिक कारावास से दण्डनीय होगा।

13. अपराध गुरुतर बनाने वाली परिस्थितियां

1. यदि निम्नलिखित में से कोई परिस्थिति विद्यमान है, तो इस अध्याय के अंतर्गत अपराध सात वर्ष से अन्यून तथा बारह वर्ष से अनधिक अवधिके कारावास से दण्डनीय होंगे;
2. अपराधों में ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जो अनियमित प्रवासियों के जीवन अथवा सुरक्षा को संकट में डालती हैं अथवा जिनकी उन्हें संकट में डालने की संभावना है;
3. अपराधों में ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जो अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अपरिहार्य बनाती हैं जिनमें अनियमित प्रवासियों का शोषण शामिल है;
4. अपराधों में अनियमित प्रवासी अथवा अन्य व्यक्ति को हुई गंभीर क्षति अथवा उसकी मृत्यु शामिल है, जिसमें आत्महत्या के रूप में मृत्यु सम्मिलित है;

5. अपराधी ने वित्तीय तथा अन्य तात्विक लाभ के लिए अनियमित प्रवासी की किसी विशेष सुभेद्यता अथवा आश्रिता का लाभ उठाया हो अथवा उसका दुरुपयोग किया हो।

6. अपराधी ने समान अथवा वही अपराध पहले भी कारित किया हो।

7. अपराधी ने किसी संगठित आपराधिक समूह के क्रियाकलापों के भाग के रूप में यह कारित किया हो;

8. अपराधी ने अपराध को कारित करते हुए मादक द्रव्यों, औषधियों अथवा हथियारों का प्रयोग किया हो।

9. अपराधी ने बड़ी संख्या में अनियमित प्रवासियों को शामिल किया हो;

10. अपराधी किसी प्रासंगिक समय पर सरकारी कर्मचारी था;

11. अपराधी ने अपराध कारित करने में सरकारी कर्मचारी के रूप में प्राधिकार की स्थिति अथवा पद का दुरुपयोग किया है;

12. अनियमित प्रवासी एक बालक है;

13. अपराधी ने आपराधिक आचरण में सहायक अथवा भागी के रूप में बालक का प्रयोग किया है; अनियमित प्रवासी गर्भवती है;

14. अनियमित प्रवासी किसी मानसिक अथवा शारीरिक नि:शक्तता से पीड़ित है।

15. अपराधी ने अनियमित प्रवासी अथवा उसके परिवार के विरुद्ध हिंसा के किसी रूप का प्रयोग किया है अथव प्रयोग करने की धमकी दी है;

16. अपराधी ने अनियमित प्रवासी के यात्रा अथवा पहचान दस्तावेजों को जब्त किया है, नष्ट किया है अथवा नष्ट करने का प्रयास किया है।

14. अनियमित प्रवासियों की सुभेद्यता का दुरुपयोग

कोई व्यक्ति जो लाभ अथवा अन्य तात्विक लाभों के लिए किसी अनियमित प्रवासी की प्रत्यक्ष अथवा ज्ञात सुभेद्यता अथवा आश्रिता का लाभ उठाता है अथवा उसका दुरुपयोग करता है, जिसमें ऐसी सुभेद्यता अथवा आश्रिता भी शामिल है जो अनियमित रूप से अथवा बिना समुचित प्रलेखन के राज्य में प्रवेश करने अथवा उसमें रहने के अथवा गर्भधारण, शारीरिक अथवा मानसिक रोग, बालक होने के नाते निर्णय कारित करने की नि:शक्तता अथवा निम्न क्षमता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, ऐसा अपराध कारित करता जो पांच वर्ष से अन्यून के लिए दण्डनीय है।

15. अतिरिक्त उपाय

1. जहां कोई व्यक्ति इस विधि के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी पाया गया है, तो न्यायालय इस विधि के अधीन अधिरोपित की जाने वाली किसी शास्ति के अलावा तथा न्यायालय की किसी अन्य शक्ति को सीमित किए बिना, निम्नलिखित उपायों का आदेश दे सकेगा:-

2. अपराध की आस्तियों, प्रतिफलों तथा अपराध के उपकरणों की जब्ती;

3. अपराध के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर का संदाय;

4. विधिक निर्णय को प्रचारित करना;

5. एक अथवा अधिक सामाजिक अथवा व्यावसायिक क्रियाकलापों को स्थायी रूप से अथवा अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: क्रियान्वयन से प्रतिषिद्ध करना;

6. किसी ऐसी स्थापना अथवा उपक्रम को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद करना जिसका प्रयोग प्रश्नगत अपराध कारित करने के लिए किया था;

7. सार्वजनिक बोली और/ अथवा सार्वजनिक लाभों अथवा सहायताओं से विवर्जित करना;

8. सार्वजनिक अधिप्राप्ति में सहभागिता करने से अस्थायी अथवा स्थायी रूप से निरर्हित करना;

9. अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों को करने और/ अथवा अन्य विधिक व्यक्ति के सृजन से अस्थायी अथवा स्थायी रूप से निरर्हित करना;

10. कोई अन्य गैर-न्यायिक उपाय, जो उपयुक्त समझा जाए।

16. अनियमित प्रवासियों की आपराधिक देयता

आपराधिक अपराधों को स्थापित करने वाली अन्य विधियों की प्रयोजनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनिवासी प्रवासी इस विधि के अध्याय-II में निर्धारित आचरण का प्रयोजन बनने के लिए आपराधिक अभियोजन के लिए दायी नहीं बनेगा।

17. वाणिज्यिक वाहकों का कर्त्तव्य और अपराध

1. कोई वाणिज्यिक वाहक जो यह सत्यापित करने में असफल रहता है कि प्रत्येक यात्री किसी गंतव्य राज्य अथवा किसी ट्रांजिट राज्य में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित पहचान और/ अथवा यात्रा दस्तावेज धारण करता है, वह तीन लाख रुपए से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

2. कोई वाणिज्यिक वाहक जो सक्षम प्राधिकारियों को अधिसूचित करने में असफल रहता है कि किसी व्यक्ति ने किसी गंतव्य राज्य अथवा किसी ट्रांजिट राज्य में जानकारी के साथ अथवा इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि व्यक्ति एक अनियमित प्रवासी था, उसमें प्रवेश करने के लिए बिना पहचान अथवा अपेक्षित दस्तावेजों के प्रवेश किया है अथवा प्रवेश करने का प्रयास किया है, वह अपराध कारित करता है तथा दो लाख रुपए के जुर्माने का दायी है।

3. वाणिज्यिक वाहक इस अनुच्छेद के अधीन अपराध कारित नहीं करता है, यदि:

   (क) यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार विद्यमान है कि वे दस्तावेज जो देशांतरित व्यक्ति धारित करता है, गंतव्य देश में विधिपूर्ण प्रवेश के लिए अपेक्षित यात्रा दस्तावेज हैं;

   (ख) देशांतरित व्यक्ति उस अवस्था पर विधिपूर्वक यात्रा दस्तावेज धारित किए हुए था, जब वह गंतव्य के देश में आया था अथवा परिवहन के साधन द्वारा अंतिम बार आया था;

(ग) गंतव्य के देश में प्रवेश केवल वाणिज्यिक वाहक के नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों के कारण किया गया था;

(घ) गंतव्य देश में प्रवेश समुद्र अथवा भूमि पर बचाव के फलस्वरूप किया गया है।

18. न्याय प्रक्रियाओं के लिए प्रवेश अथवा प्रवास को सुविधाजनक बनाना

सक्षम प्राधिकारी इस विधि के अंतर्गत अपराध के अभियोजन को सुकर बनाने के उद्देश्य से अनियमित प्रवासी को आवास की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

अध्याय-III संरक्षण तथा सहायता उपाय

19. तात्कालिक चिकित्सा देखरेख का अधिकार

1. अनियमित प्रवासियों को गंतव्य देश के राष्ट्रिकों के साथ उपचार की समानता के आधार पर ऐसी चिकित्सा देखरेख प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अथवा उसके स्वास्थ्य को होने वाली अपूरणीय क्षति को बचाने के लिए तत्काल अपेक्षित हो।

2. ऐसी तात्कालिक चिकित्सा देखरेख को गंतव्य देश में उनके प्रवेश अथवा प्रवास के संदर्भ में किसी अनियमितता के कारण से उन्हें प्रदान करने से इंकार नहीं किया जाएगा।

20. हिंसा के विरुद्ध प्रवासियों का संरक्षण

सक्षम प्राधिकारी प्रवासी व्यक्तियों को उनके प्रति की जाने वाली हिंसा चाहे वह व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा की गई है, के विरुद्ध उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए इस विधि के अध्याय-III में विनिर्दिष्ट आचरण के प्रयोजन होने के कारण से, उपयुक्त उपायों पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा। इन उपायों में महिलाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

21. उन प्रवासियों को सहायता, जिनका जीवन अथवा सुरक्षा संकट में है

सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रवासियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करने पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जिसका जीवन अथवा सुरक्षा इस विधि के अध्याय-III में वर्णित कदाचार के प्रयोजन के कारण से संकट में है। इन उपायों में महिलाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

22. न्यायिक कार्यवाहियां

1. कोई अनियमित प्रवासी, जो हिंसा, यातना अथवा अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड अथवा इस विधि द्वारा आपराधीकृत आचरण का प्रयोजन बनने के फलस्वरूप अपने जीवन अथवा सुरक्षा का संकट झेलते हैं, उन्हें विनिर्दिष्ट कृत्य के परिणामस्वरूप तात्विक और गैर-तात्विक क्षति का दावा करने के लिए न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ करने का अधिकार होगा।

2. तात्विक अथवा गैर-तात्विक क्षतियों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ करने का अधिकार उसी कृत्य, जिससे सिविल दावा उत्पन्न हुआ है, के संबंध में आपराधिक कार्यवाहियों की विद्यमानता द्वारा प्रभावित नहीं होगा।

3. अनियमित प्रवासी की उत्प्रवास स्थिति अथवा अपने गृह देश को अनियमित प्रवासी की वापसी अथवा अधिकारिता से अनियमित प्रवासी की अन्य अनुपतिस्थति न्यायालय को इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिकर का संदाय करने का आदेश करने से निवारित नहीं करेगी।

23. अनियमित प्रवासियों के लिए काउंसुलर अधिकारियों तक पहुंच

1. जहां कोई अनियमित प्रवासी गिरफ्तार, निरुद्ध किया जाता है अथवा अभिरक्षा में रखा जाता है, तो उसे गिरफ्तार अथवा निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह बिना किसी विलंब के उसे काउंसुलर अधिकारियों से संपर्क करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे तथा उसे ऐसे संपर्क को सुकर बनाने के लिए उठाए जाने वाले समस्त युक्तियुक्त कदमों से अवगत कराए।

2. यदि अनियमित प्रवासी काउंसुलर अधिकारियों से संपर्क करने में रुचि दर्शाता है, तो गिरफ्तार अथवा निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के लिए अपेक्षित होगा कि वह प्रासंगिक काउंसुल को यह अधिसूचित करे कि उस राज्य का राष्ट्रिक गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किया गया है, उसे वह स्थान सूचित करे, जहां अनियमित प्रवासी रखा गया है तथा उससे संपर्क को सुकर बनाए।

3. यदि कोई अनियमित प्रवासी यह दर्शाता है कि वह काउंसुलर कार्यालय में संपर्क करने का इच्छुक नहीं है, तो उसके विकल्प का सम्मान किया जाएगा।

4. अनियमित प्रवासी, जिन्हें अभिरक्षा में रखा गया है अथवा निरुद्ध किया गया है, को निम्नलिखित अधिकार होगा:

   (क) काउंसुलर अधिकारियों द्वारा वहां दौरा किए जाने का;

   (ख) काउंसुलर अधिकारियों के साथ बात करने और पत्राचार करने का;

   (ग) बिना किसी विलंब के काउंसुलर प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्रों को प्राप्त करने का।

      1. गिरफ्तार करने वाला अथवा निरुद्ध करने वाला अधिकारी ऐसे दौरे और पत्राचार को सुकर बनाने के लिए समस्त युक्तियुक्त कदम उठाएगा।

      2. गिरफ्तार अथवा निरुद्ध करने वाला अधिकारी बिना किसी विलंब के उस समस्त पत्राचार को अनियमित प्रवासी को अग्रेषित करेगा, जो प्रासंगिक काउंसुलर कार्यालय की ओर से उसे संबोधित हो।

अध्याय IV समन्वय और सहयोग

24. राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना

1. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय एक राष्ट्रीय समन्वय समिति स्थापित करेगा जिसे अनियमित प्रवासी के निवारण के लिए 'राष्ट्रीय कार्य बल' कहा जाएगा तथा उसमें विदेश, गृह, श्रम, महिला और बाल विकास, मंत्रालयों, संबंधित राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के अधिकारी शामिल होंगे।

2. अनियमित प्रवासी के निवारण के लिए राष्ट्रीय कार्यबल -

   (क) इस विधि के क्रियान्वयन की निगरानी और समन्वय करेगा;

   (ख) इस विधि के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए नीति, विनियम, दिशा-निर्देश, प्रक्रियाएं और अन्य उपाय विकसित करेगा;

   (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना विकसित करगा कि इस विधि का व्यापक और प्रभावी क्रियान्वयन हो, जिसमें उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की आवधिक समीक्षा के लिए प्रक्रिया भी शामिल होगी;

   (घ) प्रवासियों की तस्करी के नयाचार के अंतर्गत दायित्वों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा तथा संसद को प्रतिवेदन देगा।

   (ङ) विभिन्न राज्य एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतरएजेंसी और अंतरविषयक सहयोग को सुकर बनाएगा।

   (च) उद्गम, प्रेषण और गंतव्य के प्रासंगिक देशों के साथ सहयोग को सुकर बनाएगा।

3. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का सचिव राष्ट्रीय कार्य बल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। समिति आवश्यकता होने पर उप-समितियां/ कार्यकारी ग्रुपों की स्थापना कर सकेगी।

25. प्रशिक्षण और जागरूकता

राष्ट्रीय कार्यबल -

(क) राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, पुलिस, उत्प्रवास और आपराधिक न्यायिक अधिकारियों के लिए, जिनकी अनियमित प्रवासियों के साथ संपर्क बनाने की संभावना है, के लिए जानकारी, सामग्री विकसित करेगा और उसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार करेगा तथा अनियमित प्रवासियों के अधिकारों का संरक्षण और परिरक्षण करते हुए अनियमित प्रवासियों का बचाव और उनकी संरक्षा करेगा।

(ख) इस तथ्य पर जन-जागरूकता को बढ़ाने के लिए जन सूचना कार्यक्रम तैयार करेगा और उनका प्रचार-प्रसार करेगा कि प्रवासियों की तस्करी एक आपराधिक क्रियाकलाप है तथा इसका प्रयोग

संगठित आपराधिक समूहों द्वारा लाभ के लिए निरंतर किया जाता है तथा यह कि यह अनियमित प्रवासियों के लिए एक गंभीर जोखिम (खतरा) उत्पन्न करता है।

(ग) प्रवासियों की सामाजिक-आर्थिक सत्यताओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्रवासियों की तस्करी के सामाजिक-आर्थिक कारणों, जैसे गरीबी और बेरोजगारी के मूल का निवारण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों और सहयोग को प्रवर्तित और सुदृढ़ करेगा।

अध्याय VI - अनियमित प्रवासियो की वापसी से संबंधित प्रक्रियाएं

26. एजेंसी अथवा एजेंसियों का पदनाम

1. सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय में वर्णित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

2. अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, सक्षम प्राधिकारी:-

(क) प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा जिनमें शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय था प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है; और

(ख) किसी अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अनुपालन करेगा।

27. दस्तावेजों की यथार्थता और वैधता

समुचित प्राधिकारी अथवा अन्य नयाचयार राज्य के प्रतिनिधि के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर जारी किए गए अथवा जारी किए जाने के लिए आशयित तथा प्रवासियों की तस्करी के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए जाने वाले संदिग्ध यात्रा और पहचान दस्तावेजों की यथार्थता और वैधता का सत्यापन करेगा।

28. अनियमित प्रवासियों की वापसी को सुकर बनाना

सक्षम प्राधिकारी -

(क) अनियमित प्रवासी के उपयुक्त प्राधिकारी अथवा अथवा किसी अन्य नयाचार राज्य के प्रतिनिधि के अनुरोध पर अथवा स्वयं अपनी पहल पर बिना किसी असम्यक अथवा गैर-युक्तियुक्त विलंब के किसी ऐसे अनियमित प्रवासी की भारत वापसी को सुकर बनाएगा जो वापसी के समय भारत का राष्ट्रिक है।

(ख) उपयुक्त प्राधिकारी स्वयं अथवा अन्य नयाचार राज्य के अनुरोध पर दस्तावेजों अथवा अन्य प्राधिकारों के निर्गम को सुकर बनाएगा जो ऐसे अनियमित प्रवासी की भारत से बाहर और भारत में वापसी को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, जो भारतीय राष्ट्रिक है।

29. वापसी प्रक्रिया में अनियमित प्रवासियों का संरक्षण

1. सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अनियमित प्रवासी की योजनाबद्ध अथवा वास्तविक वापसी अंतर्राष्ट्रीय विधि, विशेष रूप से मानवाधिकारों, शरणार्थियों और मानवीय विधि के अनुरूप है, जिसें गैर-निरुद्धीकरण के सिद्धांत, गैर-भेदभाव के सिद्धांत, जीवन के अधिकार, यातना तथा निर्दय, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा सजा के समस्त रूपों पर प्रतिषेध तथा जहां बालक शामिल हैं, उस बालक का श्रेष्ठ हित शामिल है।

2. अनियमित प्रवासियों की वापसी को सुकर बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा कि अनियमित प्रवासियों की कोई भी योजनाबद्ध अथवा वास्तविक वापसी व्यवस्थित रूप से हो रही है तथा उसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा और मर्यादा पर सम्यक रूप से ध्यान दिया गया है।

3. वापसी प्रक्रिया के बल के प्रयोग को सीमित करने के लिए हर प्रयास किए जाने चाहिए। नियंत्रण के एकमात्र स्वरूप, जो स्वीकार्य हैं, वे हैं जिनमें परामर्श प्रतिक्रियाएं निहित है जो उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से किसी विशेष लौटने वाले प्रवासी के वास्तविक अथवा युक्तियुक्त प्रत्याशित प्रतिरोधक के कड़ाई से आनुपातिक हैं।

30. विद्यमान व्यवस्थाओं का संरक्षण

इस अध्याय में कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी:

(क) व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया गया अथवा उन्हें उपलब्ध कोई अधिकार अथवा उपचार जो किसी अन्य विधि के अधीन प्रवासियों के अवैध व्यापार से संबंधित किसी अपराध का प्रयोजन है;

(ख) किसी लागू संधि, द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अथवा किसी अन्य लागू करार, जो पूर्णत: अथवा भाग के उन व्यक्तियों की वापसी को प्रशासित करता है जो प्रवासियों के अवैध व्यापार का प्रयोजन रहे हैं, के अधीन किया गया कोई दायित्व।

अनुबंध-तीन

आदर्श नियोजन करार

यह नियोजन करार निम्न के द्वारा निष्पादित और लागू किया गया:

क. नियोक्ता:

पता और दूरभाष संख्या:

ख. कर्मचारी के प्रतिनिधि:

एजेंट/ कंपनी का नाम:

ग. कर्मचारी

पासपोर्ट संख्या:

पता: स्थान और जारी करने की तारीख

नियोक्ता और कर्मचारी ने स्वयं को स्वैच्छिक रूप से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों से करारबद्ध किया:-

1. नियोजन स्थल

2. करार की अवधि से तक

3. कर्मचारी की स्थिति

4. मूल मासिक वेतन

5. नियमित कार्य समय: प्रतिदिन अधिकतम 8 धंटे, सप्ताह में छह दिन

6. समयोपरि वेतन

(क) नियमित कार्य समय से अधिक कार्य

(ख) निर्दिष्ट विश्राम दिवस और अवकाश के दिन कार्य

7. पूर्णवेतन सहित अवकाश

(क) अवकाश छुट्टी

(ख) रोग अवकाश

8. नियोक्ता की ओर से सामाजिक सुरक्षा अंशदान

9. नियोजन स्थल तक नि:शुल्क परिवहन और निम्नलिखित मामलों में, उद्गम स्थल से नि:शुल्क वापसी परिवहन:

(क) करार की समाप्ति

(ख) न्यायसंगत कारण के बिना नियोक्ता द्वारा करार को समाप्त करना

(ग) यदि कर्मचारी कार्य से संबद्ध या उसके कारण चोट लगने या बीमारी के कारण काम जारी रखने में असमर्थ हो।

10. नि:शुल्क भोजन या ..... अमेरिकी डॉलर का क्षतिपूर्ति भत्ता, नि:शुल्क उपयुक्त आवासन।

11. नि:शुल्क आपात चिकित्सा और दंत चिकित्सा सेवाएं और दवाओं सहित सुविधाएं।

12. मेजबान सरकार और/ अथवा _____सरकार के कानूनों के अनुरूप कर्मचारी को नि:शुल्क व्यक्तिगत जीवन और दुर्घटना बीमा। इसके अतिरिक्त,____सरकार द्वारा प्रतिकूल क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्रों के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नि:शुल्क _____से अन्यून का संघर्ष जोखिम बीमा प्रदान किया जाएगा।

13. इस करार की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसका शव और व्यक्तिगत सामान नियोक्ता के खर्च पर.....को स्वदेश वापस भेजा जाएगा। यदि शव को स्वदेश वापस भेजना संभव नहीं है तो कर्मचारी के निकट संबंधी और/ अथवा _____ दूतावास/ वाणिज्यिक दूतावास (कांसुलेट) की पूर्व अनुमति से शव का कार्य स्थल के समीप समापन कर दिया जाए।

14. नियोक्ता उपयुक्त बैंकिंग चैनल या अन्य विधि सम्मत तरीके से कर्मचारी के वेतन के एक प्रतिशत का धन-प्रेषण करने में सहायता करेगा।

15. समापन:

क. नियोक्ता द्वारा समापन:नियोक्ता निम्नलिखित न्यायसंगत कारणों से इस करार को समाप्त कर सकेगा: गंभीर कदाचार, नियोक्ता के विधिसम्मत आदेशों की जानबूझकर अवहेलना, कर्तव्यों की आदतन अवहेलना, अनुपस्थिति, अनधीनता, स्थापना के भेद खोलना, जब कर्मचारी प्रथाओं, परम्पराओं और के कानूनों और/ या इस करार की शर्तों का उल्लंधन करता है। नियोक्ता प्रत्यावर्तन संबंधी व्यय को भी वहन करेगा।

ख. कर्मचारी द्वारा समापन: कर्मचारी, नियोक्ता को निम्नलिखित न्यायसंगत कारणों में से किसी की भी सूचना दिए बिना इस करार को समाप्त कर सकेगा: नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा गंभीर अपमान, नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा कर्मचारी के साथ अमानवीय और असहनीय व्यवहार, नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा कोई अपराध/ पाप करना और नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा नियोजन करार की निबंधन और शर्तों का उल्लंधन करना। नियोक्ता..... को प्रत्यावर्तन खर्चे का भुगतान करेगा।

ख.1 कर्मचारी नियोक्ता को एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर किसी न्यायसंगत कारण के बिना इस करार को समाप्त कर सकेगा। जिस नियोक्ता को यह सूचना दी गई है वह कर्मचारी को नुकसान का जिम्मेदार ठहरा सकेगा। किसी भी मामले में, कर्मचारी को अपने मूल स्थान पर वापस आने के लिए

सभी संगत खर्चे वहन करने होंगे।

ग. बीमारी के कारण समापन: कोई भी पक्षकार बीमारी, रोग या कर्मचारी को लगी चोट के आधार पर करार को समाप्त कर सकेगा। नियोक्ता को प्रत्यावर्तन लागत वहन करनी होगी।

16. विवादों का समाधान: कर्मचारी के नियोजन करार से संबंधित सभी दावों और शिकायतों का समाधान कंपनी की नीति, नियमों और विनियमों के अनुरूप किया जाएगा। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के निर्णय का प्रतिरोध करने के मामले का समाधान श्रम राजदूत सहायक (अताशे) अथवा किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि, दूतावास या भारत के महा-वाणिज्य दूतावास के सहयोग से नियोजन स्थल के समीप सौहार्दपूर्ण ढ़ंग से किया जाएगा। सौहार्दपूर्ण समाधान विफल होने की स्थिति में मामला (मेजबान देश) में सक्षम या उपयुक्त निकाय या शिकायत करने वाले पक्ष की इच्छानुसार मेजबान देश के कानून द्वारा अनुमत्य.....के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

17. कर्मचारी नियोक्ता कंपनी के नियमों और मेजबानों देश के संगत कानूनों का पालन करेगा और उसके रिवाजों तथा परम्पराओं का आदर करेगा।

18. प्रयोज्य कानून:उपर्युक्त उपबंधों से संगत नियोजन की अन्य निबंधन और शर्तें.....के संगत कानूनों द्वारा शासित होंगी।

ईसीआर देश जाने के इच्छुक प्रवासियों के लिए उत्प्रवास प्रबोधन कार्यक्रम की प्रारूप रूपरेखा

1. <u>विधिक और कॉन्सुलर मॉडयूल</u>

विधिक और कॉन्सुलर संबंधी प्रबोधन मॉड्यूल इच्छुक प्रवासियों को मूल देश के साथ-साथ गन्तव्य देश, दोनों, में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और प्रलेखन की विधिक आवश्यकताओं से अवगत कराएगा। यह प्रवासी कामगारों में विशेष रूप से जीसीसी के छह देशों के संदर्भ में निर्गमन,प्रवेश, प्रवास और लौटने के संबंध में जागरूकता पैदा करने और मुख्य रूप से निम्न पर कार्य करेगा:

- **यात्रा दस्तावेज-पासपोर्ट, वीजा, वर्क परमिट, कार्य संबंधी करार**
- **निर्गमन प्रक्रियाएं-उत्प्रवास स्वीकृति, निगर्मन बिंदु पर आप्रवास डेस्क, प्रवेशाधिकार- आप्रवासन, वीज़ा और कार्य संबंधी विधान**
- **देश में प्रवास- वीज़ा, निवास परमिट, नागरिकता नियम**
- **स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सुरक्षा और अस्थायी संरक्षण संबंधी विधान; निर्वासन, निष्कासन।**

2. उत्प्रवास प्रबोधन मॉड्यूल

यह मॉड्यूल इच्छुक प्रवासियों को भर्ती, कार्य संबंधी करार, यात्रा, निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही वित्तपोषण और सहायता सेवाओं की बाजार प्रक्रिया से अवगत कराएगा। इसका उद्देश्य गन्तव्य देश में रहने और काम करने के संभावित खतरों और आवश्यक एहतियात के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह प्रवासी कामगारों की उनके व्यावसायिक कौशल और रोजगार लक्ष्यों के अनुरूप उनको रोजगार दिलाने में भी सहायता करेगा। यह रोजगार खोजने की प्रक्रिया में प्रवासियों की सहायता करने के दिशानिर्देशों सहित प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराता है:

- **देश तथा रोजगार के बारे में प्रवासन जानकारी प्राप्त करना**
- **भर्ती प्रक्रिया, कार्य संबंधी करार, रहने और काम करने की स्थितियाँ**
- **भर्ती की लागत-पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट, एयर टिकट, बीमा**
- **बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय लागत, धन-प्रेषण**
- **शिकायत समाधान, आपातस्थितियाँ।**

3. सांस्कृतिक और सामाजिक प्रबोधन

सांस्कृतिक और सामाजिक प्रबोधन मॉडयूल इच्छुक प्रवासियों को जीसीसी देशों के सामाजिक और

सांस्कृतिक परिस्थिति की पूरी जानकारी देगा। इसका उद्देश्य प्रवासियों को सामाजिक शिष्टाचार और संघर्ष पूर्ण स्थितियों से बचने हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक आचरण और व्यवहार के मानदंडों के बारे में जागरूकता पैदा करना है:

- नागरिक के सामान्य आधिकार और दायित्व;
- सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता;
- वेशभूषा, पाक कर्म और मनोरंजन
- लोक प्रशासन, पुलिस और कानून तथा व्यवस्था।

4. स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक प्रबोधन

स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक प्रशिक्षण मॉड्यूल इच्छुक प्रवासियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल के महत्व से परिचित कराएगा। इसका उद्देश्य प्रवासियों में यह अपेक्षित समझ पैदा करना है कि विदेश में मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है और एकाकीपन, परिवार से दूर रहने, कार्य संबंधी दबाव, वित्तीय दबाव, खराब स्वास्थ्य की समस्या से कैसे निपटा जाए और किस प्रकार सहायता मांगी जाए।

5. भाषायी प्रबोधन

इस मॉड्यूल का उद्देश्य कार्य संबंधी और सामाजिक वार्तालाप हेतु कुछ मौलिक संप्रेषनीय क्रियाएं; मौलिक मौखिक और लिखित संप्रेषण कौशल; एक विशेषीकृत शब्दकोश और कुछ मूल भाषायी विन्यास उपलब्ध कराकर प्रतिभागियों के व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल को विकसित करने या सुधारने हेतु एक आरंभिक सांस्कृतिक और भाषायी उपकरण प्रदान करना है।

प्रबोधन पाठ्यक्रम के लिए सुझाई गई अवधि पहले चार मॉड्यूल के लिए 40 घंटे है जो छह दिनों के लिए है। भाषा के प्रशिक्षण हेतु यह अवधि 80 घंटे है जो दो सप्ताह के लिए है। कुल प्रबोधन मॉडल 120 घंटे का है और यह तीन सप्ताह से अधिक का होना चाहिए।

कार्यान्वयन की रूप रेखा:

1. कार्यक्रम स्वैच्छिक किंतु सरकार द्वारा उपयुक्त प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे इस कार्यक्रम की महता बढ़ेगी और बाद में यह अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देगा।
2. इसकी शुरूआत महिला प्रवासियों से होनी चाहिए।
3. यह कार्यक्रम दो राज्यों-महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश और पुरूषों के लिए उत्तर-प्रदेश में चलाया जाए।
4. राज्यों सरकारों को निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वित करने का काम सौंपना चाहिए।

5. पाठ्यक्रम, प्रबोधन सामग्री, प्रशिक्षण कार्यविधि और शैक्षणिक उपकरणों का डिजाइन और विकास प्रोटेक्टर जनरल द्वारा किया जाए।

6. प्रवासी द्वारा उत्प्रवास स्वीकृति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाए। यह शुल्क ईसीआर शुल्क का एक भाग होना चाहिए।

7. प्रोटेक्टर जनरल द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण का काम देखा जाए और बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षण निष्पादन लेखा परीक्षा के माध्यम से प्रमाणीकरण हो।

8. इस कार्यक्रम को कौशल उन्नयन योजना स्कीम का अभिन्न अंग बनाया जाए।

अनुबंध-पांच

'दि ग्लोबल इंडियन फंड टेक्नोलोजी, एंटरप्रिन्योरशिप एंड डेवलपमेंट' (दि-गिफ्टेड)

मुख्य शब्द	**वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक डायसपोरा; प्रतिभा प्राप्ति, परिक्रामी प्रवासन; भारतीय मूल के वैज्ञानिक और प्रोद्यौगिकीविद; भारत के प्रवासी नागरिक; प्रवासी भारतीय शोध सहयोग; अनिवासी (एनआरआई) और भारतीय मूल (पीआईओ) के वैज्ञानिक और प्रोद्यौगिकीविद।**

'दि ग्लोबल इंडियन फंड फॉर टेक्नोलोजी, एंटरप्रिन्योरशिप एंड डेवलपमेंट' (दि-गिफ्टेड) मिशन का काम प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक समुदाय और भारत में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच उच्च अधिगम, वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज, नवोन्मेषध और उद्यमिता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि 'ज्ञान आधारित' समाज और अर्थव्यवस्था को सहायता दी जा सके। यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक सरकारी निजी भागीदारी के रूप में चुनिंदा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालयों तथा विभागों और भारतीय उद्योग परिसंघ तथा वाणिज्य और उद्योग महासंघ के प्रतिनिधित्व वाले भारतीय उद्योग के सहयोग से शुरू किया जाएगा।

मिशन, विहंगावलोकन और लक्ष्य	**विकास हेतु कार्यनीतिक, सहजीवी और सतत वैज्ञानिक भागीदारी के ध्येय के साथ गिफ्टेड तीन प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देगा:**

(क) विदेशों (डायसपोरा) में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और वृत्तिकों को वापस लौटने तथा भारत में कार्य करने हेतु और/ अथवा स्थानीय वैज्ञानिकों/ वैज्ञानिक संस्थाओं के संपर्क में रहने हेतु प्रोत्साहित करना;

(ख) भारतीय संस्थाओं और अनुसंधान कर्त्ताओं को प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक और वृत्तिक डायसयोरा की क्षमता का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना;

(ग) भारत के समक्ष उत्पन्न बृहत सामाजिक चुनौतियों के क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों तथा भारतीय वैज्ञानिकों के बीच सहयोगी दीर्घकालीन शोध भागीदारी पैदा करना।

इस फंड का उपयोग प्रवासी भारतीयों को भागीदारी करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्यम विकास के साथ-साथ उनकी वृत्तिका उन्नति में सहायता देने का अवसर प्रदान करके प्रवासन और विकास के बीच संपर्क बनाने को बढ़ावा देने की सक्रिया को प्रदर्शित करने पर किया जाएगा।

पृष्ठभूमि और तर्काधार

यह कार्यक्रम नवजात क्रिया अर्थात् विकसित देशों में भारतीय मूल के कुशल और अर्हताप्राप्त प्रवासियों की वापसी से प्रेरित है ताकि वे नवोन्मेषण, उद्यमिता और विकास को प्रेरित कर सकें। विश्वभर में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और प्रोद्यौगिकीविद काफी संख्या में हैं। उन्हें अर्थव्यवस्था के ज्ञान आधारित क्षेत्रों को उत्प्रेरित करने हेतु भारत के साथ और/ अथवा भारत के काम करने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अत: इस फंड के लिए मुख्य चुनौती इन वैज्ञानिकों को विदेश से भारत वापस लाने या भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु उन्हें भारत के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करने हेतु आकर्षित करने के लिए अनेक सहायक कार्यक्रम बनाने की है।

नीति संबंधी प्राथमिकताओं का विंहगावलोकन

'गिफ्टेड' की नीति संबंधी अंतिम प्राथमिकता भारतीय वैज्ञानिक डायसपोरा का एक नेटवर्क बनाने की है। इसे पूरा करने हेतु निम्नलिखित नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान की गई है:

- **निर्वासित भारतीयों को नवोन्मेषण पर ध्यान केन्द्रित करके भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना;**
- **निर्वासित वैज्ञानिकों को भारतीय अनुसंधान संस्थानों और उद्योग में अल्पकालिक नौकरी दिलाने हेतु कार्यक्रम बनाना;**
- **निर्वासित शिक्षाविदों की भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में नियुक्ति;**
- **अर्हताप्राप्त और प्रशिक्षित निर्वासितों की उद्यम संबंधी कार्यकलापों में सेवाएं लेने हेतु प्रोत्साहन देना।**

नीति संबंधी प्राथमिकताओं की सूची	**1. अनुसंधानकत्ताओं की सचलता (उदाहरण: प्रतिभाप्राप्ति, अधिकारों की अंतरणीयता)** **2. अनुसंधानकत्ताओं की भर्ती (उदाहरण:वित्तीय प्रोत्साहन)** **3. कैरियर विकास (उदाहरण:विश्वविद्यालय अनुसंधानकर्ताओं के लिए दीर्घवधिक करार)** **4. उद्यम विकास (उदाहरण: स्टार्टअप को सहायता देना)**
विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करना	**कोई क्षेत्र विशिष्ट नहीं**
लक्षित अनुसंधान और प्रोद्यौगिक क्षेत्र	**यह कार्यक्रम किसी विशेष अनुसंधान संबंधी विषय-वस्तु या विषय हेतु लक्षित नहीं है। यह डायसपोरा अनुसंधान या डायसपोरा के सहयोग से निम्नलिखित संगत विचारों को सहायता देगा:** **1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना;** **2. अर्थव्यवस्था के आधार पर नवोन्मेषण के माध्यम से मूल्यवर्धन करना;** **3. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास उत्प्रेरक को सहायता देना;** **4. उद्यमिता को प्रेरित करना।**
चयनित अनुंसधान और प्रोद्यौगिकी क्षेत्र	**किसी विशिष्ट विषय पर केन्द्रित नहीं।**

देश	**भारत**
आंरभ की तारीख	**2014**
अनुमानित अंतिम तारीख	**2020**
अन्य सहायता उपायों के साथ संबंध	**यह कार्यक्रम नया है और इसका किसी पूर्व कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।**
विद्यमान उपायों को प्रतिस्थापित करना	**यह कार्यक्रम नया है और इसका किसी पूर्व कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।**

अतिरिक्त ब्यौरा:	**यह कार्यक्रम अन्य देशों विशेषकर अमेरिका द्वारा कुशल कामगारों, शिक्षित श्रम शक्ति, अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने की प्रथा से प्रेरित है जो समकालीन आर्थिक विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण बैद्धिक पूंजी सृजित करते हैं।**
भौगोलिक कवरेज:	**यह कार्यक्रम देश व्यापक और सभी विषयों के लिए होगा। यह कार्यक्रम भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों, जो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में योगदान देने के इच्छुक हैं, को सहायता प्रदान करेगा।**
लक्षित लाभार्थी:	**वैज्ञानिक/ अनुसंधानकर्त्ता (व्यक्तिगत रूप से)**
वित्त पोषण हेतु पात्र समूह:	**वैज्ञानिक/ अनुसंधानकर्ता (व्यक्ति रूप से); उच्च शिक्षण संस्थानों की अनुसंधान इकाइयॉ/ केन्द्र; गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन; उद्योग समर्थित प्रोद्यौगिकी और नवोन्मेषी केन्द्र (गैर-लाभकारी); नई प्रोद्यौगिकी आधारित फर्में/ नए ज्ञान आधारित गहन सेवा फर्म।**
लक्षित समूह के बारे में और ब्यौरा:	**भारतीय संस्थानों, कंपनियों और संगठनों अर्थात्-भारतीय विधिक कंपनियाँ, इस फंड की**

	उपयोगकर्त्ता और लाभार्थी होंगी। भारत में लक्षित समूह चुनिंदा विश्वविद्यालय और संस्थाएं, प्रौद्योगिकी आधारित लघु और मध्यम उद्यम, अनुसंधान और विकास केन्द्र तथा वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों के युवा वृत्तिक होंगे। विदेश स्थित लक्षित समूह: युवा वृत्तिक, डॉक्टरीय विद्यार्थी, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और ओसीआई/ पीआईओ कार्डधारी भारतीय मूल के दूसरी और तीसरी पीढ़ी के वैज्ञानिक होंगे।
लक्षित अनुसंधान कार्यकलापों की प्रकृति:	मूल अनुसंधान; समस्याजनक (मूल) अनुसंधान; अनुप्रयोगीय औद्योगिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान; ज्ञान का अंतरण (अनुसंधानकर्ताओं के बीच); मानव संसाधन विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग।
उपाय का समग्र कार्यान्वयन ढांचा:	'गिफ्टेड' कार्यक्रम एमओआईए, डीएसटी और सीआईआई-फिक्की के बीच एक त्रिपक्षीय भागीदारी होगी। इस फंड की स्थापना के लिए सभी चारों भागीदारों द्वारा बराबर आरंभिक पूंजी का निवेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूंजी सहायता भारतीय उद्योग के माध्यम से जुटाई जाएगी। इस प्रयोजनार्थ चारों भागीदारों तथा महत्वपूर्ण ज्ञान क्षेत्रों वाले चुनिंदा उद्योगों वाले एक कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसे 'फ्रेण्ड्स ऑफ दि गिफ्टेड' कहा जाएगा। यह फंड मुख्य चार कार्यक्रमों और उनके उप-कार्यक्रमों (कार्यक्रम का उप-ढांचा) के भीतर संगठित परियोजना हेतु सार्वजनिक कॉल के आधार पर प्रतियोगिता के माध्यम से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रमों के भीतर वित्तपोषित परियोजनाओं में एक या एक से अधिक फंड उपकरण शामिल होंगे यथा: अनुसंधान परियोजना, डॉक्टरेटपंरात अनुसंधान, आरंभिक स्तर का अनुसंधान, लघुकालिक दौरा,

दीर्घकालिक दौरा, हाईटेक उद्यमिता और अनुसंधान ढांचे का विकास। किसी परियोजना के लिए कुल वित्तीय सहायता फंड के कुल बजट के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वित्तपोषण किसी विशेष परियोजना के अनुमोदित कारोबार योजना और वित्तीय योजना पर आधारित होगा। आवेदकों में से परियोजनाएं छांटी जाएंगी और वित्त पोषण योजना का निर्धारण चारों भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले और मनोनीत विशेषज्ञों की स्वतंत्र ज्यूरी द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु मामले-दर-मामले पर किया जाएगा। फंड किसी परियोजना की कुल लागत का वित्तपोषण नहीं करेगा। किसी अनुमोदित परियोजना में फंड का अंशदान परियोजना की कुल लागत के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत अन्य स्रोतों (मेजबान संस्थान, प्रायोजकों आदि) से उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना देने का अंतिम निर्णय और अनुमोदित वित्तपोषण पद्धति ज्यूरी द्वारा चयनित परियोजनाओं से होगी और चार भागीदारों वाली अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। परियोजना अनुमोदित किए जाने पर फंड से परियोजना का मार्गदर्शन होगा, इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा तथा वह इसे सफल बनाएगा।

संरचना और कार्यकलाप संबंधी उप-कार्य: 'गिफ्टेड' कार्यक्रम में निम्नलिखित चार उप-कार्यक्रम होंगे:

-अनुसंधान सहयोग कार्यक्रम:

'होमवार्ड' ग्रांट

'क्रासबॉर्डर्स' ग्रांट

-संपर्कता कार्यक्रम:

'गेनिंग एक्सपीरियंस ग्रांट'
'होमलैंड विजिट' ग्रांट
-युवा अनुसंधानकर्ता कार्यक्रम:
'माई फर्स्ट रिसर्च टॉपिक' ग्रांट
'रिइंटीग्रेशन' ग्रांट
'रिसर्च इन इंडस्ट्री' ग्रांट
-रचनात्मक कार्यक्रम:
'इनोवेशन' ग्रांट
'आईपीआर प्रोटेक्शन' ग्रांट

प्रबंधन ढांचा:

यद्यपि 'गिफ्टेड' कार्यक्रम मुख्यतया प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए है, अनेक मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी और सहायता से कार्यक्रम कार्यान्वयन की सामान्य जिम्मेदारी एक समन्वयक के तौर पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की होगी। तथापि, कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति होगी। इसके अतिरिक्त, दो समितियां होंगी: संचालन समिति (एससी)-यह व्यक्तिगत कार्यक्रमों, कार्यक्रम के प्रस्ताव के डिजाइन, पूर्व-मूल्यांकन और परियोजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सहित ऐसे कार्यात्मक कार्यों की निगरानी करेगी; और अनुमोदन समिति (एसी): जो ज्यूरी द्वारा चयनित परियोजनाओं के चयन और वित्तपोषण का अनुमोदन करती है और परियोजना की प्रगति की निगरानी करती है।

प्रगति की समीक्षा:

प्रगति की समीक्षा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु 'गिफ्टेड' प्रबंधन द्वारा की जाएगी और उसे आवधिक रूप से अंतर-मंत्रालयी अधिकार-प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कार्यक्रम की उपलब्धियों को जांचने हेतु सामान्य मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों (के पी आई) के समूह को अग्रिम रूप से

परिभाषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि परियोजना वित्त वर्ष 2014 से शुरू की जाती है तो वित्त वर्ष 2016 के अंत तक के पी आई परिभाषित की जा सकती है। 'गिफ्टेड' डायसपोरा, उद्योग और भारतीय अनुसंधान संगठन के बीच लगभग 20 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, 20 संयुक्त प्रकाशनों, 5 पेटेंटों, और युवा वैज्ञानिकों हेतु 10 परियोजनाओं को सहायता देगा।

चयन मानदंड:

परियोजनाओं का मूल्यांकन मानदंडों के समूह के अनुसार होगा जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए समान हैं। तथापि, सामान्य मानदंड समूह भी नीचे दिए अनुसार परिभाषित किए गए है:

- परियोजना की वैज्ञानिक/ तकनीकी गुणवत्ता, अनुसंधान की नवीनता, वास्तविकता और व्यवहार्यता;
- परियोजना लीडर और अन्य सहयोगियों का वैज्ञानिक ट्रैकरिकार्ड;
- भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था हेतु परियोजना का कार्यनीतिक महत्व;
- अंतर्राष्ट्रीय सह-वित्तपोषण और/ अथवा उद्योग से सह-वित्तपोषण प्राप्त करने संबंधी परियोजना की भावी क्षमता
- भारत की अर्थव्यवस्था में और महत्वपूर्ण (संभावित अनुप्रयोग, नवोन्मेषण, पेटेंट, नए उत्पाद या प्रक्रियाएं) बातें जोडने संबंधी परियोजना क्षमता;
- भारत को ज्ञान का अंतरण करने संबंधी संभावित योगदान।

परियोजनाओं/ भागीदारों का चयन:

'गिफ्टेड' प्रतिवर्ष 1 जनवरी-
28 फरवरी तक कतिपय निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्ताव हेतु आहवान करेगा। चयन प्रक्रिया

पूरी होने तथा परियोजना का अनुमोदन होने संबंधी जानकारी 30 अप्रैल तक दे दी जाएगी।

वित्त पोषण का तरीका:	अनुदान
वांछनीय लागत:	श्रम लागत (ऊपरी खर्च सहित); अवसंरचना; उपकरण; प्रशिक्षण (अध्ययन दौरा सहित); विदेशी विशेषज्ञता (परामर्शदाता, अध्ययन आदि): अन्य: आई पी संरक्षण
वित्त पोषण का स्रोत:	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से योजना का वित्तपोषण और उद्योग अनुदान

कुल बजट:	1000 करोड़ रुपए
वर्ष 1	2014: 5 करोड़ रु. (अल्प अनुदान)
वर्ष 2	2015: 100 करोड़ रु.
वर्ष 3	2016: 150 करोड़ रु.
वर्ष 4	2017: 150 करोड़ रु.
वर्ष 5	2018: 250 करोड़ रु. 2019: 350 करोड़ रु.

पूर्व में निर्दिष्ट संकेतक:	नहीं
पूर्व में निर्दिष्ट संकेतकों का ब्यौरा:	कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद उस की उपलब्धियों को जांचने हेतु सामान्य मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों (के पी आई) के समूह को अग्रिम रूप से परिभाषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यह आशा की जाती है कि वित्त वर्ष 2016 तक फंड भारतीय डायसपोरा, भारतीय उद्योग और भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच लगभग 20 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, 20 संयुक्त प्रकाशनों, 5 पेटेंटों, और युवा वैज्ञानिकों के लिए 10 परियोजनाओं को सहायता देगा।

सहायता उपाय मूल्यांकन :	**पूर्व हॉ, चालू/ मध्याविधि: हाँ अंतिम/ एक्सपोस्ट:हाँ**

आई सी एम के प्रकाशन

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक/ वर्ष
1.	लेबर मार्किट एसेसमेंट इन 6 ईयू कंट्रीज	इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) के सहयोग से आईसीएम-2011
2.	इंडिया-ईयू एगेंजमेंट एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन: इम्पलीकेशन्स फॉर पालिसी एंड वे फारवर्ड	बसंत पोटनुरू एंड वशिष्ठ सैम, आईसीएम-2012
3.	इंडिया-ईयू मोबिलिटी: बिल्डिंग बांड्स थ्रू रेमिटेंसिस एंड फिलोन्थ्रोपी	पूजा गुहा, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, बंगलौर-2013
4.	अवेयरनेंस एंड इंर्फोमेशन डिस्सेमिनेशन: लेसन्स फ्रांम ए फील्ड पब्लिसिटी कैम्पेन इन दि पंजाब प्रोजेक्ट	परमजीत सहाय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़-2013
5.	इर्रेगुलर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू दि ईयू: ऐबिडेंस फ्रॉम पंजाब	वी.के बावरा, पंजाब पुलिस-2013
6.	पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब टू इटली इन दि एग्रीकल्चर/ डेयरी सेक्टर (पंजाब-इटली कॉरीडोर एंड चीज़ मेकिंग)	कैथरीन लुम एंड परमजीत सहाय, ईयूआई एंड सीआरआरआईडी-2013
7.	इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ नर्सिस फ्रॉम इंडिया (केरल) टू दि ईयू: प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजिज विद स्पेशल रेफरेंस टू दि नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क	परवीना कोडोथ एंड टीना कुरियाकोस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड आईसीएम-2013
8.	वर्किंग विद दि डायसपोरा फॉर डेवलपमेंट: पॉलिसी पर्सपेक्टिक्स फ्रॉम इंडिया	दीदार सिंह, फार्मली, एमओईए-2013
9.	बैकग्राउंड पेपर ऑन रेमिटेंसिस फ्रॉस दि जी सी सी टू इंडिया: ट्रेंड्स, चैलेंजिस एंड वे फारवर्ड	टी एल एस भास्कर, आईसीएम-2013
10.	इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट: असेसिंग इंडियाज पीआईओ एंड ओसीआई स्कीम्स	सोहाली वर्मा, आईसीएम-2014
11.	कल्चरल कंटिन्यूटी एंड आइडेंटिटी: ए स्टडी ऑफ सूरीनामी हिन्दुस्तानीज़	लीमानुनगला लोंगकुमेर, आई सी एम-2014
12.	एथेनिसिटी एंड डायसपोरिक आइडेंटिटी	मोहन गौतम, लीडेन यूनिवर्सिटी, दि नीदरलैंड्स-2014
13.	गल्फ माइग्रेशन, सोशल रेमिटेंसिस एंड रीलिजन:दि चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ केरल क्रिश्चियंस	गिनु जाचारिया ओमेन-2015
14.	इंडियन माइग्रेंटस इन म्यांमार: इमर्जिंग ट्रेंडस एंड चैलेंजिज	मेधा चतुर्वेदी-2015

प्रवासन के लिए भारत केन्द्र, 2016

प्रवासन के लिए भारत केन्द्र (आईसीएम)

द्वारा प्रकाशित

प्रवासन के लिए भारत केन्द्र

विदेश मंत्रालय

कमरा संख्या-1011 अकबर भवन,

यशवन्त पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

दूरभाष:- +91-11-24675341.

ईमेल:-icm.moia@gmail.com

वेबसाइट: http://www.mea.gov.in/icm.htm